तृतीय

वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-2016

सहज™

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

सहज™
Saahaj
Pure Ghee
शुद्धता का वादा, स्वाद भी ज़्यादा
शुद्धता का वादा,
स्वाद भी ज़्यादा
व्यापार से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करें: सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, क्रॉस रोडस मॉल, 2nd फ्लोर,
प्लाट नंबर - 5 & 6, सेक्टर - 13, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा योजना, सिकंदरा - बोदला रोड, आगरा - 282007, उत्तर प्रदेश मोबाईल नं. 08392954925
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	4
2.	मिशन मिल्क की उप परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	5–20
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	21–31
4.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	32–37
5.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	38
	(ब) लाभ–हानि विवरण	39
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	40
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	41–61

संलग्नक : तृतीय वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक 62–80

कम्पनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुड़गाँव, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स (आर.टी.ए.)

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
44, कम्प्यूनिटी सेन्टर, द्वितीय तल,
नारायना इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस–1
पी.वी.आर. नारायना, नई दिल्ली–110028

आंतरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुड़गाँव, हरियाणा

बैंकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़
ईण्डसइंड बैंक, अलीगढ़
एच.डी.एफ.सी. बैंक, नोएडा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(सिन : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

- ईमानदारी
- दूरदर्शिता
- गुणवत्ता
- पारदर्शिता
- टीम-भावना
- साहस और जुनून
- जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर
- समय तत्परता

ध्येय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

संचालक मण्डल

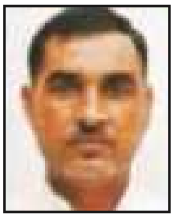

श्री दिग्विजय सिंह
(डी.आई.एन.–06963747)
निदेशक

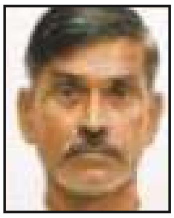

श्री शिव सिंह
(डी.आई.एन.–06965779)
निदेशक

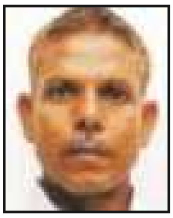

श्री सुरेन्द्र कुमार
(डी.आई.एन.–07034201)
निदेशक

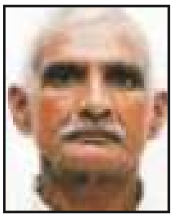

श्री चन्द्र पाल सिंह
(डी.आई.एन.–06964687)
निदेशक

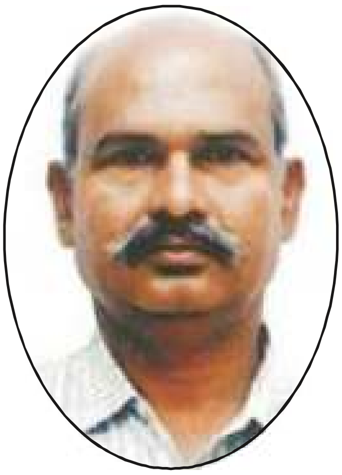

श्री महेश चन्द्र
(डी.आई.एन.–06965523)
अध्यक्ष

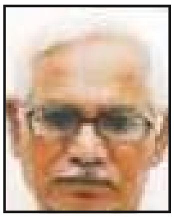

श्री हरपाल सिंह
(डी.आई.एन.–07060096)
निदेशक

श्रीमती सुनीता
(डी.आई.एन.–07081946)
निदेशक

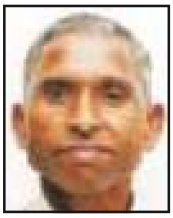

श्री जवाहर लाल
(डी.आई.एन.–07081926)
निदेशक

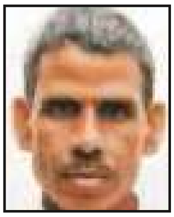

श्री मुरारी लाल
(डी.आई.एन.–06966195)
निदेशक

श्रीमती अखिलेश
(डी.आई.एन.–07051619)
निदेशक

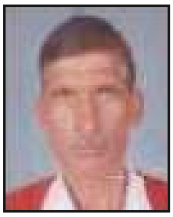

श्री अनिल कुमार
(डी.आई.एन.–07464066)
निदेशक

श्री अजय कुमार खोसला
(डी.आई.एन.–01854876)
विशेषज्ञ निदेशक

श्री एन.वी. बेलावाड़ी
(डी.आई.एन.–01734080)
विशेषज्ञ निदेशक

श्री सोमेन बिस्वास
(डी.आई.एन.–02633426)
विशेषज्ञ निदेशक

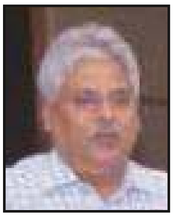

श्री ऋषिराज सिंह
(डी.आई.एन.–07005277)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

अध्यक्ष संदेश

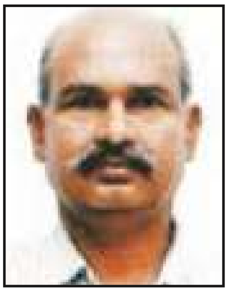

प्रिय शेयरधारक साथियो,

दूसरे वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिये सहज दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड के प्रदर्शन पर एक बार फिर से आप सभी सदस्यों को अवगत कराते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

पिछला वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है लेकिन कंपनी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कंपनी ने कर अदा करने के बाद रूपये 9.96 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

आपके संचालकों ने लाभांश को अनुशंसा का प्रस्ताव पारित किया है, यह लाभांश उन सदस्यों को मिलेगा, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च, 2016 की अवधि तक अंकित हुआ है।

आपकी कंपनी ने किसान भाईयों का प्रोत्साहन बढ़ाया है, उन्हें कंपनी के उत्पादक सदस्य बनाकर तथा डेयरी व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया है। आपके द्वारा सहज को दी गयी दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है, जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के तहत 13.47 करोड़ किलोग्राम दुग्ध का उपार्जन किया है। आहार संतुलन कार्यक्रम को किसान के घर तक पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये है। पशु चारा ''सहज सुदाना'' और चिलेटिड क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण ''सहज मिन'' को दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया गया है। यह वित्तीय वर्ष कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि का वर्ष रहा है क्योंकि कंपनी ने अधिक से अधिक महिलाओं को भी सदस्यों के रूप में जोड़ा है।

अगले नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम दुग्ध उपार्जन (प्रोक्योरमेंट) की मूलभूत संरचना को और मजबूत बनाये और सूचना तकनीकी प्रणाली पर आधारित दूध की खरीद और लेन–देन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएं। आपकी कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2016–2017 में दुग्ध उत्पादों जोकि दूध, छाछ, घी को आगरा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, इग्लास, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा में आम जन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

आपके द्वारा दिखाये गये विश्वास को धन्यवाद देते हुये मैं आपसे आगे भी सहयोग की आशा रखता हूँ। आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित

आपका विश्वसनीय
महेश चन्द्र
अध्यक्ष

मिशन मिल्क – राष्ट्रीय डेयरी योजना (प्रथम चरण) (अगली क्रान्ति)

राष्ट्रीय डेयरी योजना (प्रथम–चरण) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।

(क) दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, और दूध की बढ़ती माँग को देखते हुए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उपार्जन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना को लागू किया गया है।

(ख) संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र की अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच बनाकर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना की तीन उप परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

(क) ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली
(ख) साध्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप
(ग) आहार संतुलन कार्यक्रम

उपार्जन व्यवस्था
गाँव आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा संचालित उप–परियोजना ''गाँव आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था'' के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी बनाया जा रहा है। उत्पादक सदस्यों को प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

ग्रामीण दुग्ध संकलन केन्द्र पर दूध आपूर्ति करती हुई महिला सदस्य

सहज कंपनी के द्वारा गाँव आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था के अंतर्गत उ.प्र. के दस जिले – अलीगढ़, आगरा, बदाँयू, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, जे.पी. नगर, हाथरस, मैनपुरी एवं मुरादाबाद में मार्च 2016 तक 2661 संकलन केन्द्रों से वर्ष 15–16 में 3.68 लाख किलो दुग्ध प्रतिदिन एकत्रित किया था।

सहज कंपनी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा संकलन केन्द्र खोलकर सदस्यों को जोड़ा जा रहा है ताकि उन सदस्यों की जरूरतों को पूरा किया जा सकें सूचना तकनीकी अवस्थापना एवं विभिन्न स्तरों (बी.एम.सी., एम.सी.सी.) पर आँकड़ों के समेकन से व स्वचलित दुग्ध उपार्जन इकाई को स्थापित कर गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार निष्पक्ष व

पारदर्शी व्यवस्था से दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जाता है। ऑटोमैटिक सौर ऊर्जा आधारित दुग्ध स्वचलित संग्रह के माध्यम से जोड़–तोड़ की गुजाइश को कम करने एवं मूल्य श्रंखला की वृद्धि होगी।

सभी दुग्ध केन्द्रों पर दूध की गुणवत्ता की जाँच की सुविधा। गुणवत्ता की जाँच होने के पश्चात् किसान की दूध की मात्रा, वसा व बसा रहित अघृत ठोस पदार्थ तथा कुल मूल्य लिखी हुई पर्ची सदस्य को दी जाती है। उत्पादक सदस्यों के सीधा दूध भुगतान के लिये उनके बैंक खाते खोलने के लिये उन्हें प्रेरित कर उनके खाते लेने का प्रयास किया जा रहा है।

बल्क मिल्क कूलर पर दुग्ध आपूर्ति करती हुई महिला सदस्य

बी.एम.सी. के माध्यम से दुग्ध संग्रह करने पर दुग्ध की गुणवत्ता अच्छी रहती है। क्योंकि गाँव में एकत्रित होने के पश्चात् पास के गाँव में लगे बी.एम.सी. पर यह दूध समय से ठंडा हो जाता है। जिसके कारण दूध में बैक्टिरिया की वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाती है। सहज कंपनी के द्वारा संग्रह स्तर पर बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को लागू करके संग्रह स्तर पर दूध की गुणवत्ता बेहतर होती है।

सहज कंपनी के द्वारा इस पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 1,855 दुग्ध संग्रह केन्द्रों को बढ़ाकर 2,661 दुग्ध संग्रह केन्द्र कर दिये गये है।

गाँव आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य संगठित बाजार के माध्यम से पूरे साल उत्पादक सदस्यों को उचित मूल्य पर बाजार उपलब्ध कराना है। ताकि सदस्यों के हितों की रक्षा की जा सकें। इस परियोजना के अंतर्गत काफी संख्या में महिला सदस्यों को भी जोड़ा गया है ताकि उनके अन्दर विश्वास जागृत किया जा सकें व उन्हें स्वतन्त्र बनाया जा सकें।

इस परियोजना के अंतर्गत सहज कम्पनी के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 60,602 सदस्य बनाये गये जिनमें से 16,538 महिला सदस्य थे जो कि कुल सदस्यों का 27 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में 16,966 अंतरिम सदस्य भी बने है। वर्ष 2016–17 में इन अंतरिम सदस्यों को भी सदस्य बना दिया जायेगा। सदस्यों को उत्पादक संस्था के लाभ एवं सक्रिय सहभागिता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहे है। सहज कंपनी अपने हितधारकों एवं कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिये कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

दुग्ध उपार्जन प्रणाली के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक सहज कंपनी की स्थिति

मुख्य परिणाम सचेतक	मार्च 2016 तक उपलब्धि
दुग्ध संग्रह केन्द्र	2661
कुल सदस्य	77568
छोटे उत्पादक सदस्य प्रतिशत में	75 %
महिला सदस्य प्रतिशत में	24%
दुग्ध संग्रह (प्रतिदिन हजार किलो)	368

ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन प्रणाली के अंतर्गत दिये गये प्रशिक्षणों का विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम विवरण	सहभागी	सहभागियों की संख्या
1.	जागरूकता कार्यक्रम	उत्पादक सदस्य	75649
2.	गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन	उत्पादक सदस्य	50417
3.	महिला जागरूकता कार्यक्रम	महिला उत्पादक	31530
4.	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	ग्राम युवा	3640
5.	ग्रामीण स्कूल विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम	ग्रामीण विद्यार्थी	4318
6.	सदस्य सम्बन्ध समूह उन्मुखीकरण कार्यक्रम	सदस्य	1990
7.	दुग्ध उत्पादक कम्पनी पर कार्यशाला	....	15
8.	शासन प्रणाली कार्यशाला	....	15
9.	वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	बोर्ड सदस्य	15
10.	एक्सपोजर भ्रमण	बोर्ड सदस्य	12
11.	संस्था विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (एन.जी.ओ. स्टाफ)	एन.जी.ओ. स्टाफ	65
12.	संचालन एवं रखरखाव पर नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	....	40
13.	बी.एम.सी. एवं एम.सी.सी. पर रखरखाव प्रशिक्षण	फील्ड स्टॉफ एवं कन्सेशनर	597
14.	सहायक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	सहायक	1610
15.	ऑफिस असिस्टेंट हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण	ऑफिस स्टॉफ	84
16.	ऑफिस असिस्टेंट हेतु प्रेरणा कार्यक्रम	ऑफिस स्टॉफ	85
17.	सहायक रिफ्रेशर प्रशिक्षण	सहायक	347
18.	दुग्ध संकलन सदस्य संबद्ध एवं गुणवत्ता आश्वासन हेतु प्रशिक्षण	सुपर वाइजर	108
19.	ऑफिस असिस्टेट हेतु टीम बिल्डिंग और नेतृत्व प्रशिक्षण	ऑफिस स्टॉफ	40
20.	गुणवत्ता आश्वासन पर कार्यकारी स्टाफ प्रशिक्षण	कार्यकारी स्टॉफ	2
21.	गुणवत्ता आश्वासन पर कैमिस्ट स्टाफ प्रशिक्षण	कैमिस्ट/कन्सेशनर	548

आहार संतुलन कार्यक्रम (आर.बी.पी.)

आहार संतुलन कार्यक्रम पशु पोषण पर आधारित एक सलाहकारी सेवा है, जिसके अन्तर्गत इनाफ (INAPH) सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेयरी कृषकों को उपलब्ध चारे दाने के प्रभावी प्रयोग हेतु वैज्ञानिक सलाह दी जाती है।

आहार संतुलन की सलाह देता स्थानीय संसाधक

आर.बी.पी. के उद्देश्य : आहार संतुलन कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों के घर पर ही तकनीकी निवेश व सेवाओं का प्रावधान करते हुए पोषण की वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर पशुओं की उत्पादकता, प्रजनन क्षमता व स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को जागरूक करना है जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन लागत में कमी करते हुए आर्थिक लाभ में सुधार हो।

आर.बी.पी. पशुपालकों को इस बात के लिए शिक्षित करेगा कि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य अवयवों की मात्रा को पुनः समायोजित करते हुए गाय और भैंस के आहार का संतुलन करें जिससे पशुओं के विकास, शारीरिक आवश्यकता, गर्भ एवं दुग्ध उत्पादन हेतु जरूरी खाद्य अवयवों की यथोचित मात्रा की पूर्ति सुनिश्चित हो सकें। कम से कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य स्त्रोतों का बेहतरीन उपयोग करते हुए पशु पोषण के संतुलन सम्बन्धी जागरूकता दुग्ध उत्पादकों में पैदा की जानी है।

पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य हेतु सूचना तंत्र (INAPH) : पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित उन समस्त गतिविधियों का जो पशु पर सामान्यतः की जाती है, संज्ञान लेने के लिए पशु स्वास्थ्य के मोड्यूल इनाफ को तैयार किया गया है। आंकड़ों के संज्ञान के भाग–1 को किसी एक पशु के रिकार्ड अथवा पशु समूह के रिकार्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत सेवाओं की श्रेणी में आंकड़े एकत्र करने हेतु पशु के कान में बिल्ला (टैग) लगाना पूर्व आवश्यकता है।

पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य हेतु सूचना तंत्र (इनाफ) सॉफ्टवेयर इन्टरनेट सम्बद्ध विन्डो आधारित सॉफ्टवेयर है। इनाफ लेपटॉप, कम्प्यूटर्स व नेट–बुक्स में डाला जा सकता है। एल.आर.पी. (स्थानीय संसाधक व्यक्ति) द्वारा सॉफ्टवेयर में सीधे दर्ज किये गये आँकड़े इनाफ के केन्द्रस्थ उत्पादन सर्वर में भंडारित रहते है। लैपटॉप्स/नेट–बुक्स में डाले गये मुख्य एप्लीकेशन का उपयोग आँकड़ों के रिकार्ड, अनुश्रवण एवं कार्य विश्लेषण के लिए किया जाता है।

स्थानीय संसाधक व्यक्ति (एल.आर.पी.) : इस कार्यक्रम के तहत, एल.आर.पी. पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य हेतु सूचना तंत्र (इनाफ) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य संसाधनों से न्यूनतम लागत का संतुलित आहार तैयार करता है। ग्राम का एक युवा जिसे स्थानीय संसाधक व्यक्ति कहा जाता है, ग्राम स्तर पर

आर.बी.पी. सेवा उपलब्ध कराने के लिए पहचाना जाता है। एल.आर.पी. को इनाफ सॉफ्टवेयर के साथ नेटबुक व इण्टरनेट कनेक्शन से सुसज्जित किया जाता है। जिससे वह पशुपालक के घर पर ही आर.बी. सलाह तैयार कर सकें।

एक एल.आर.पी. कार्यक्रम को दो ग्रामों में लागू करेगा, लगभग 120 पशुओं हेतु किसान के घर पर ही आहार संतुलन सलाह सेवाएँ एवं खनिज मिश्रण भी इन दो ग्रामों में उपलब्ध करायेगा। ग्राम जागरूकता सभाओं के दौरान उत्पादकों से एल.आर.पी. का परिचय कराया जाता है। जागरूकता अभियान के एक हिस्से के रूप में सम्बन्धित ग्राम में टिन साइनेज व पोस्टर्स लगाये जाते है।

आहार संतुलन कार्यक्रम में निम्नलिखित चरण होते हैं –

1. **एल.आर.पी. चयन एवं प्रशिक्षण :** सम्बन्धित ग्राम से एक युवा का चयन कुछ अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे – वह दोनों ग्रामों से किसी एक का निवासी हो, न्यूनतम हाईस्कूल शिक्षित हो, समाज में अच्छी तरह स्वीकार्य हो, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में भागीदारी रखता हो, ईमानदार हो, कठोर परिश्रमी हो, किसानों हेतु खनिज मिश्रण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता हो, स्थाई खाता संख्या (पैन) तथा बैंक खाता रखता हो। दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एल.आर.पी. को पशुपालक की आधारभूत जानकारियों, किसानों से संवाद, इनाफ सॉफ्टवेयर आदि आहार संतुलन की विभिन्न क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में 5 दिवसीय कक्षा प्रशिक्षण एवं 5 दिवसीय क्षेत्र प्रायोगिक प्रशिक्षण सम्मिलित होता है।

2. **ग्राम प्रसार गतिविधियाँ :** 10 दिवसीय सफल प्रशिक्षण उपरान्त कार्यक्रम के उन्नयन एवं एल.आर.पी. स्थापन हेतु ग्राम सभाएँ आयोजित की जाती है। जो दुग्ध उत्पादक किसान आर.बी.पी. को कार्यान्वित करते है, उन्हें कृषक किट दी जाती है। जिसमें एक थैला, पैन, लेखन पैड एवं पशु पोषण व प्रबन्धन पर आर.बी.पी. पुस्तक सम्मिलित होते है। सम्बन्धित ग्राम में टिन साइनेज भी लगाये जाते है।

पशु पंजीकरण हेतु कान में बिल्ला (टैग) लगाती एल.आर.पी.

3. **पशु पंजीकरण :** दुग्ध उत्पादकों की आर.बी.पी. क्रियान्वयन हेतु सहमति व उनके दुधारू पशुओं के आधार पर एल.आर.पी. उनका चयन करता है। पहले 12 अंकीय संख्या वाला बिल्ला (ईयर टैग) पशु के कान में लगाया जाता है, फिर पशु का विवरण जैसे – पशु प्रजाति, नस्ल, उम्र, ब्यात संख्या, दुग्ध उत्पादक स्थिति, अन्तिम ब्याने की तिथि, गर्भ स्तर एवं पशुमालिक का विवरण जैसे – नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, ग्राम, ग्राम संस्थान, तहसील, जिला, राज्य, धारित भूमि, दुधारू पशु संख्या की जानकारी इनाफ सॉफ्टवेयर में इन्द्राज कर सुरक्षित की जाती है।

4. **पशु के पोषण स्तर का मूल्यांकन एवं न्यूनतम मूल्य आहार का निरूपण :** एल.आर.पी. पंजीकृत पशु के दैनिक ग्रहित आहार, शरीर वजन, दुग्ध उत्पादन एवं वसा प्रतिशत का मूल्यांकन करता है। वह इस जानकारी को इनाफ सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करता है तथा पशु की आवश्यकता टी.डी.एन., क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम व फॉस्फोरस के संदर्भ में ज्ञात करता है एवं वर्तमान खाद्यों में उपलब्ध पोषक तत्वों का मूल्यांकन करता है। वह पशु मालिक से अन्तर व प्रति लीटर लागत की चर्चा करता है। उपलब्ध खाद्य स्त्रोतों जिनका पशु मालिक द्वारा प्रबन्ध किया जा सकता है, पर आधारित न्यूनतम लागत वाले आहार का एल.आर.पी. द्वारा निरूपण किया जाता है जिससे तय सीमाओं में पशु की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें।

5. **पुर्नसलाह :** पूर्व में दी गई सलाह से 22 वें दिन से 35 वें दिन के अन्तराल पर पशु की ब्यांत अवधि दुग्ध उत्पादन में परिवर्तन, शारीरिक स्थिति व खाद्य उपलब्धता के कारण पशु की बदली हुई खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एल.आर.पी. द्वारा नई सलाह तैयार की जाती है।
आर.बी.पी. के अर्न्तगत 1 लाख से अधिक पशुओं को पंजीकृत किया जा चुका है, जिससे 1856 ग्रामों के 85,141 उत्पादक सदस्य लाभान्वित हो रहे है।

मुख्य परिणाम सचेतक	**मार्च 2016 तक उपलब्धि**
प्रशिक्षित एल.आर.पी. की तैनाती (संख्या)	1034
आर.बी.पी. के अन्तर्गत आच्छादित ग्राम	1856
आर.बी.पी. के अंतर्गत पंजीकृत पशु (संख्या)	100862
आर.बी.पी. के तहत कृषक (संख्या)	85141
सम्मिलित पशुओं में आहार लागत प्रतिशत में आई कमी	6.35%

"संतुलित पशु आहार के विषय में प्रशिक्षण देते हुए।"

कृत्रिम गर्भाधान

कृत्रिम गर्भाधान के अर्न्तगत मानक संचालन प्रक्रिया अपनाकर एक भँली–भाँति प्रशिक्षित, योग्य कृत्रिम गर्भाधान कर्ता द्वारा किसान के घर पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ पहुँचाना है। जिसका उद्देश्य उच्च अनुवांशिकी गुणवत्ता का उपयोग कर दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने, दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी करने और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि कराना है।

मॉडल के उद्देश्य :

★ उच्च आनुवांशिकी वीर्य का उपयोग कर ज्यादा दूध देने वाली नस्ल पैदा कराने के लिए किसान के द्वार पर गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करना।

★ गर्भाधान दर में सुधार, अंतर प्रजनन अंतराल को कम करने और पशुओं के उत्पादक जीवन में वृद्धि कराने के ध्येय से मानक संचालन प्रक्रिया अपनाते हुए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्ता द्वारा सेवा प्रदान करना। पशु बांझपन प्रबन्धन के माध्यम से क्षेत्र में पशु बांझपन समस्याओं को कम करना।

★ पशु प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करके पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन और पशु पोषण के सम्बन्ध में

★ उत्पादकों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान व प्रजनन से सम्बन्धित सभी घटनाओं की मूलभूत सूचनाएँ इनाफ (INAPH)

★ साफ्टवेयर में दर्ज कराना ताकि सांडो के गुणात्मक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मेट) :

सहज अपने परियोजना क्षेत्र में योग्य प्रशिक्षण प्राप्त मेट को गाय व भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु तैनात करते है। जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। ग्राम स्तर पर कम्पनी शिक्षित ग्रामीण युवाओं को चयनित कर उन्हें एन.डी.डी.बी. के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित कर 6 से 8 गाँवों का क्षेत्र देती है। कम्पनी द्वारा पशुपालक बैठक/कृ.ग. केन्द्रों का उद्‌घाटन समारोह प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग कर उत्पादकों को जागरूक किया जाता है। पशुपालक बैठक के दौरान मेट की पहचान कराई जाती है।

कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का इनाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम

मेट के कार्य :

★ कुशल और योग्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मेट) को 'ए'' ग्रेड वीर्य स्टेशनों से उच्च अनुवांशिकी वीर्य की उपलब्धता के साथ किसान की दहलीज पर उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ उपलब्ध कराना।

★ सहज, मेट को पोर्टेबल कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदान करती है, ताकि मेट आसानी से कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए मोटर साइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके।

- ★ सभी कृत्रिम गर्भाधान किये हुए पशुओं के कान पर टैग लगाना ताकि उसकी पहचान की जा सके, भविष्य के घटनाक्रम को दर्ज किया जा सके।
- ★ दुग्ध उत्पादक के यहाँ पहुँचने पर पशु को उत्तेजना के लक्षण की पहचान करना।
- ★ अगर पशु उत्तेजना में है, किसान को सांड निर्देशिका दिखाना ताकि सांड का चयन कृ.ग. के लिए किया जा सके।
- ★ मेट, स्ट्रा को कन्टेनर से निकालने के बाद 37^{0}C पानी की ट्रे में 30 सेकण्ड के लिए रखना होता है।
- ★ 21 दिनों के पश्चात् गर्भाधान किए गए पशुओं का पुनरीक्षण करना है (पशु उत्तेजना के लिए)
- ★ 3 माह पश्चात् पशुओं का गर्भ जाँच करना।
- ★ मेट लिए गये शुल्क की एक रसीद प्रदान करता है जिसमें पशुमालिक, गर्भाधान किये पशु की जानकारी दर्ज रहती है।
- ★ उपरोक्त सभी जानकारी मेट डायरी में दर्ज करना है।
- ★ गर्भावस्था निदान, पशु ब्याहने के बाद बछड़े को टैग लगाने के लिए इनाफ की मदद लेना।

कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी :

कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी के आधीन 20 मेट कार्य करते है। इसकी जिम्मेदारी किसानों की बैठक, फिल्म शो का आयोजन करके कम्पनी की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। इनाफ डेटा का सत्यापन करना। एस.ओ.पी. को अनिवार्य रूप से लागू कराना। राज्य की पशु प्रजनन नीति को अनिवार्य रूप से लागू कराना।

कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी के कार्य :

- ★ इनाफ डेटा एवं गर्भावस्था जाँच का सत्यापन करना।
- ★ सीमेन स्ट्रा का माह के पश्चात् सत्यापन करना।
- ★ दैनिक मेट डायरी भराना सुनिश्चित करना।
- ★ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की साफ–सफाई सजावट सुनिश्चित करना।
- ★ हर दिन इनाफ में कृत्रिम गर्भाधान निदान, ब्याहने का परिणाम दर्ज करना।

पशु चिकित्सा अधिशासी के कार्य :

- ★ कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी को तकनीकी सहायता के लिए सहयोग कराना है।
- ★ परिक्षेत्र में बांझपन शिविर आयोजन के माध्यम से किसानों को बांझपन निवारण सेवाएँ प्रदान कराना है।
- ★ मेट का चयन करना।
- ★ कड़ाई से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन कराना।
- ★ प्रजनन नीति का पालन सुनिश्चित करना।
- ★ कृत्रिम गर्भाधान व गर्भावस्था जाँच की पुनः जाँच करना।
- ★ किसान बैठक/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के उद्घाटन समारोह का आयोजन करना।
- ★ कृत्रिम गर्भाधान में पैदा हुए बछडों की रैली का आयोजन कराना।
- ★ गर्भाधान दर का आकलन करना।

- ★ कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी के कार्यों का पुनः सत्यापन करना।
- ★ जहाँ पर गर्भाधान दर कम है, जो मेट छोड़कर जा रहें है उन केन्द्रों के सीमेन (वीर्य) को सूक्ष्मदर्शी यन्त्र के
- ★ माध्यम से जाँच सुनिश्चित करना।

प्रजनन विशेषज्ञ :

सहज ने चार प्रजनन विशेषज्ञों को 10 जिलों में कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएँ सुचारू एवं प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

प्रजनन विशेषज्ञों के कार्य :

- ★ अपने कार्यक्षेत्रों में पशु प्रजनन सेवाओं को लागू कराने के लिए जवाब देह होना।
- ★ तरल नत्रजन एवं (सीमेन) वीर्य का समय पर वितरण सुनिश्चित कराना।
- ★ सांड के प्रदर्शन पर सीमेन स्टेशन को प्रतिक्रिया देना।
- ★ संतान परीक्षण परियोजनाओं और इस तरह के अन्य तकनीकी सहयोग परियोजना के साथ समन्वय स्थापित कराना।
- ★ मादा संततियों की वंशावली प्रमाण–पत्र की व्यवस्था कराना।
- ★ लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराना।
- ★ प्रशिक्षण केन्द्रों पर जाकर प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लेकर प्रतिक्रिया देना।

मूल उपलब्धि संकेतक (2015–16)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सहभागियों की संख्या
1	मेट परिनियोजन	247
2	आच्छादित गाँवों की संख्या	2076
3	कृत्रिम गर्भाधान	38774
4	गर्भाधान दर (%)	39*

* कृत्रिम गर्भाधान के आधार पर 60 प्रतिशत पशुओं का गर्भ परीक्षण किया गया।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर मेट को किट प्रदान करते हुए।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम

प्रशिक्षण विवरण :

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	प्रशिक्षण कर्ता	समूह संख्या	सहभागियों की संख्या
1	मूलभूत कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण	मेट	16	273
2	क्षेत्र प्रशिक्षण	प्रजनन मेट	14	239
3	पशु चिकित्सा अधिशासी प्रशिक्षण	प्रजनन विशेषज्ञ पशु चिकित्सा अधिशासी	1	3
4	इनाफ प्रशिक्षण	मेट	13	249
	कुल योग		44	764

कृत्रिम गर्भाधान के विषय में प्रशिक्षण देते हुए।

45 दिवसीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्पादक संस्था निर्माण (पी.आई.बी.)

किसी भी संस्था का सफल होना उसमें कार्यरत कर्मियों की जानकारी (ज्ञान), अनुभव, टीम भावना, सकरात्मक सोच एवं कार्य के प्रति रूचि पर निर्भर करती है। उत्पादक संस्था निर्माण विभाग (पी.आई.बी.) द्वारा संस्था के सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया गया है। उत्पादक कम्पनी में अलग–अलग स्तर पर साझेदार होते है जिनके लिये अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से और भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1. **सदस्य निबन्धीकरण :** वर्ष 2015–16 के दौरान हमारी उत्साहित एवं प्रेरित टीम ने अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को पंजीकृत करने का प्रयास किया जिसका परिणाम यह हुआ कि कुल 35872 दुग्ध उत्पादकों ने स्थाई तथा 15603 दुग्ध उत्पादकों ने अस्थाई रूप में सदस्यता ग्रहण किया। इसका यह नतीजा निकला कि 31 मार्च, 2016 को सदस्यों की संख्या 44999 से बढ़कर 60602 हो गई। ग्रामीण महिलायें जो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की रीढ़ समझी जाती है। उनकी संख्या भी 9695 (मार्च 15) से बढ़कर मार्च 2016 में 14538 हो गई।

   सदस्यों ने कम्पनी के प्रति विशेष रूचि दिखाते हुये 31 मार्च, 2016 तक कुल रू. 8.98 करोड़ की धनराशि कम्पनी में जमा किया।

2. **जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन :** ग्रामीणजन के ज्ञानवर्धन, कार्यकुशलता एवं सोच में सकरात्मक परिवर्तन लाने के लिये विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम, महिला जागरूकता कार्यक्रम गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम एवं ग्रामीण स्कूल बच्चों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	सदस्य जागरूकता कार्यक्रम	2126	75649
2	महिला जागरूकता कार्यक्रम	1174	31530
3	गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	1509	50417
4	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	96	3640
5	ग्रामीण विद्यार्थियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम	104	4272
6	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	02	40
7	प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	03	65
8	व्यापार उन्मुखी कार्यक्रम	01	22
9	वार्षिक उन्मुखी कार्यक्रम	01	22

3. **सदस्य सम्बन्ध सशक्तिकरण :** सहज दुग्ध उत्पादक कम्पनी बहुत बड़े सदस्यों के आधार वाली कम्पनी है। इस बात को ध्यान में रखकर सदस्यों एवं कम्पनी के बीच एक सुदृढ़ संवाद तन्त्र के विकास हेतु ग्रामीण स्तर पर अनौपचारिक रूप से दो समूहों का गठन किया गया है। एम.पी.पी. स्तर पर ग्राम सम्पर्क समूह (वी.सी.जी.) तथा दुग्ध मार्ग स्तर पर सदस्य सम्बन्ध समूह (एम.आर.जी.) का गठन किया गया है। ये समूह सदस्यों तथा कम्पनी के बीच दो तरफा संवाद हेतु एक मजबूत तन्त्र के रूप में कार्य करते है। वर्ष 2015–16 में 7575 सदस्यों के साथ 1990 ग्राम सम्पर्क समूह एवं सदस्य सम्बन्ध समूह का गठन किया गया। सदस्य सम्बन्ध समूह उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1990 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया जो दुग्ध उत्पादकों के बीच में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते है। दूसरे कदम के तौर पर कम्पनी ने सदस्यों एवं अपने बीच और भी बेहतर तरीके से संवाद को कायम करने के लिये एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है जो शिकायतों का निवारण क्रमबद्ध तरीके से यथाशीघ्र करने का प्रयास करता है।

महिला जागरुकता कार्यक्रम

4. **निदेशक मण्डल प्रदर्शन भ्रमण :** डेयरी क्षेत्र में आधुनिक विकसित तकनीक की कार्य विधि एवं कार्यप्रणाली को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल के लिए भ्रमण का कार्यक्रम पशु प्रजनन केन्द्र सलोन, रायबरेली तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आयोजित किया गया।

5. **बैंक खाते द्वारा भुगतान :** सहज दुग्ध उत्पादक कम्पनी सदस्यों के बीच पारदर्शिता को बनाये रखने के लिये उनका भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही करना चाहती है तथा उन्हें बिचौलिये से बचाना चाहती है। परिणाम स्वरूप आज 37574 सदस्य अपने दूध का भुगतान अपने खाते के माध्यम से ही ले रहे है।

निदेशक मण्डल पशुधन अनुसंधान केन्द्र का भ्रमण करते हुए।

विश्वास के निर्माण में गुणवत्ता का सहयोग

***"सहज में गुणवत्ता मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है।
पूर्व निर्धारित गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी टीम लगातार प्रयास करती है।"***

गुणवत्ता ने हमारी कंपनी के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाजार में हमारे नेतृत्व को बनाये रखने एवं उसका विस्तार करने के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने हेतु सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का गुणवत्ता आश्वासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस आशय की पूर्ति हेतु कंपनी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने दूध एवं दुग्ध उत्पादों में निरन्तर सुधार एवं उनकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा को और बेहतर बनाने हेतु हमेशा प्रतिबद्ध है।

हमारे उच्च प्रशिक्षित टीमें सभी प्रासंगिक गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं के मानदंडों को पूरा करने में समर्थ है। गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिये उपभोक्ताओं को अच्छा गुणवत्ता का दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये निरन्तर सुधार के लिये भविष्य की योजनाओं के लिये सहज ने लैब प्रभारी को प्रशिक्षण दिया है। साथ ही साथ लैब सहायक को भी प्रशिक्षण दिया गयाा है। दूध की गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखने के लिये स्वच्छ आचरण वाली प्रयोगशाला का भी निर्माण किया गया है।

दुग्ध गुणवत्ता की जाँच करते हुए

सहज कंपनी के उत्पाद

दुग्ध और दुग्ध से बने उत्पाद – सहज के विभिन्न उत्पादों का प्रक्षेपण वित्त वर्ष 2016–17 की दूसरी तिमाही में हुआ है। सहज का दूध चार विभिन्न श्रेणियों में बाजार में विक्रय हेतु, उपलब्ध करवाया गया और सहज में अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे– छाछ एवं घी का भी विक्रय प्रारम्भ कर दिया गया है। सहज द्वारा निर्मित दूध और दुग्ध उत्पाद की महत्वपूर्ण बात यह है कि सहज के दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा आपूर्तित किये गए दुग्ध से ही निर्मित किये जाते हैं।

पॉली पैक दुग्ध तथा उसकी विभिन्न श्रेणियों

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 की दो तिमाही आगरा एवं उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पाली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में विक्रय प्रारम्भ किया है।

1. **सहज गोल्ड (फुल क्रीम दूध) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 6 प्रतिशत और वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत है।

2. **सहज ताजा (टोंड दूध) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 3 प्रतिशत और वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्रा 8.5 प्रतिशत है।

3. **सहज फिट एन फाइन (डबल टोंड दूध) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 1.5 प्रतिशत और वसा रहित ठोस कि न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत है।

4. **सहज स्लिम एण्ड स्मार्ट (स्किम्ड मिल्क) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 0.5 प्रतिशत और वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्रा 8.7 प्रतिशत है।

सहज गोल्ड (फुल क्रीमी दूध)
सहज ताजा (टोंड मिल्क)
सहज फिट एण्ड फाइन (डबल टोंड मिल्क)
सहज स्लिम एण्ड स्मार्ट (स्किम्ड मिल्क)

सहज घी

घी सहज कंपनी का पहला डेयरी उत्पाद है जिसका जून 2016 में प्रक्षेपण हुआ है। सहज घी शुद्धता और ताजगी से पूरिपूर्ण, सहज घी ताजा और दानेदार है। उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किये गए दूध से ही सहज घी का उत्पादन किया जाता है। जिसकी सुगंध आप अपने प्रिय व्यजनों में उपयोग करते हुए महसूस कर सकते है। कंपनी के दुग्ध उत्पादकों से एकत्रित किया गया दुग्ध, कम से कम समय में प्रसंस्करण और संकलन केन्द्रों पर पैक होने के पश्चात् शीघ्र ही उपभोक्ता तक पहुँचता है।

सहज शुद्ध दानेदार घी

सहज छाछ/बटर मिल्क

सहज छाछ ताजा, पौष्टिक एवं घर में बनी जैसी होती है। गर्मी में प्यास बुझाने के साथ ही यह पाचन शक्ति को भी बड़ाती है। अनेक व्यंजनों जैसे कि कढ़ी आदि बनाने में भी इसे प्रयोग किया जा सकता है।

सहज छाछ/बटर मिल्क

पशु खाद्य उत्पाद

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी ने 'सहज सुदाना' ब्राण्ड नाम से बी.आई.एस–II (BIS-II) पशु आहार एवं 'सहज मिन' ब्राण्ड नाम से चिलेटिड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की बिक्री प्रारम्भ की है।

'सहज सुदाना' बी.आई.एस.–II विशेषताओं के साथ उपलब्ध है जो 12 लीटर दूध प्रति दिन तक उत्पादित करने वाले पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इससे पशु के स्वास्थ्य, प्रतिरोधक क्षमता, दूध उत्पादकता, फैट व एस.एन.एफ. में सुधार होता है। विशिष्ट विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	अवयव	विशिष्ट विवरण बी.आई.एस.–II (%)
1.	नमी	11 (अधिकतम)
2.	क्रूड प्रोटीन	20 (न्यूनतम)
3.	क्रूड फाइबर	12 (अधिकतम)
4.	फैट	2.5 (न्यूनतम)
5.	ए.आई.ए.	4 (अधिकतम)
6.	कैल्शियम	0.8 (न्यूनतम)
7.	फॉस्फोरस	0.5 (न्यूनतम)
8.	यूरिया	1.0 (अधिकतम)

'सहज मिन' चिलेटिड पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण में उन खनिज तत्वों का समावेश है जिनकी पश्चिमी उ.प्र. की मृदा में कमी है। यह एक कार्बनिक चिलेटेड रूप है। सहज मिन पशुओं की प्रजनन क्षमता, दुग्ध गुणवत्ता, उत्पादन एवं प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है तथा दो ब्यातों के अन्तराल, उत्पादन लागत को कम करता है। दुग्ध उत्पादक सहज सुदाना व सहज मिन सम्बन्धित एल.आर.पी. से ग्राम स्तर पर ही प्राप्त कर सकते है।

सहज मिन

सहज सुदाना

"सहज द्वारा किये गये दुग्ध उत्पादक जागरुकता कार्यक्रमों की एक झलक"

कुशल टीम द्वारा विश्वास निर्माण

आज के इस तेजी से बढ़ रहे प्रतिस्पर्धी माहौल में, किसी भी संगठन की सफलता अपने कर्मचारियों पर निर्भर करती है। बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधकों, फील्ड स्टॉफ, श्रमिकों सभी को अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता में अपने समकक्षों से अधिक होना चाहिए।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और कंपनी के विकास के लिए अत्यधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। सहज द्वारा उप परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन ज्ञान और कौशल में वृद्धि के लिए विभिन्न तकनीकी और कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार वर्ष में आयोजित किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है।:

क्रम.संख्या	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	स्टाफ के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	84
2.	प्रेरणा प्रशिक्षण स्टाफ के लिए	85
3.	टीम निर्माण और नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	40

महिलाओं और छोटे दुग्ध उत्पादकों का सशक्तिकरण

कंपनी ने महिलाओं और छोटे किसानों के उन्नयन पर जोर दिया। कंपनी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए हैं। यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पशुओं के रख रखाव के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महिलाओं को डेयरी व्यवसाय में भाग लेने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तथा कंपनी के सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

कंपनी का उद्देश्य केवल महिलाओ को सदस्य बनाने तक ही सीमिति नहीं है, अपितु कंपनी ने महिलाओं को कंपनी के प्रबंधकीय क्षेत्र में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। सहज ने क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र अधिकारी और पर्यवेक्षक के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया है। गाँव आधारित दुग्ध उपार्जन प्रणाली (VBMPS) में महिला सदस्यों की एक बड़ी संख्या है।

छोटे किसानों से कम मात्रा में दुग्ध संग्रह का कंपनी के दुग्ध उपार्जन में एक बड़ा हिस्सा जुड़ता है। हजारों दुग्ध उत्पादकों से अर्जित किये गये एक–एक लीटर दूध ने, कंपनी संचालन के प्रारम्भिक दौर को तेजी से विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ग्रामीण जनों को दुग्ध उत्पादकों के रूप में कंपनी से जोड़ कर तथा उन्हें नियमित रूप से उनके दुग्ध का भुगतान करके आजीविका कमाने का अवसर प्रदान कर रही है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष मार्च 2016 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी तृतीय वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग के IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में 17अक्टूबर 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य में दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसका सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंसकरण करने एवं उनके विपणन तथा उससे सम्बन्धित सभी प्रकार के क्रियाओं हेतु किया गया था।

वित्तीय प्रदर्शन :

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (रूपये करोड़ में)	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (रूपये करोड़ में)
परिचालन से राजस्व	490.65	158.70
माल की लागत सहित व्यय	475.29	151.79
कर पूर्व लाभ/हानि	15.36	6.90
कराधान के लिए प्रावधान	5.39	2.27
कर के बाद लाभ–हानि	9.96	4.63

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 490.65 करोड़ रूपये के लक्ष्य को प्राप्त किया है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

कम्पनी का इस अवधि के दौरान कुल कारोबार रू. 490.65 करोड़, जो अन्य स्त्रोतों से अर्जित आय रू. 1.21 करोड़, कुल खर्च रू. 475.29 करोड़, अन्य खर्चों सहित रू. 444.29 करोड़ और वित्तीय खर्चे रू. 3.33 करोड़ और मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च रू. 4.19 करोड़ परिणाम स्वरूप कम्पनी का कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) रू.15.36 करोड़ और कर के पश्चात् लाभ (पी.ए.टी.) रू. 9.96 करोड़ था।

सीमित आय (लाभांश)

कम्पनी के निदेशकों को सीमित आय (लाभांश) रू. 10/– प्रति समता अंश कुल रूपये 1.08 करोड़ (सीमित आय लाभांश कर रू. 0.18 करोड़ सहित) । सीमित आय (लाभांश) उन सदस्यों को दिया जायेगा, जिनका 31 मार्च, 2016 को सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण

कम्पनी अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 का अनुपालन एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के तहत निदेशक मण्डल ने रू. 8.89 करोड़ की राशि आर्थिक चिठ्ठा में सामान्य संचय में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव रखा है।

संचालन

कम्पनी उत्तर प्रदेश के दस जिलों में 2,661 दुग्ध संग्रह केन्द्रों और 366 दुग्ध अवशीतन केन्द्रों के माध्यम से कच्चे मिश्रित दूध का कारोबार करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने 13.47 करोड़ किलोग्राम दूध का कारोबार किया। कम्पनी अपने सदस्यों को उनके दूध के प्रतिस्पर्धा मूल्य के भुगतान के प्रति अग्रसर है।

कम्पनी मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रा.लि. को भी थोक दूध की आपूर्ति करती है।

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 की दूसरी तिमाही में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं के दूध के उत्पादों की शुरूआत की है। कम्पनी का मानना है कि यहाँ पर दूध, दूध उत्पादों के व्यवसाय के लिए बहुत सम्भावनाएं है।

दूध एवं दूध उत्पाद

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी के द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 की दूसरी तिमाही में पोली पैक दूध, छाछ एवं घी का विक्रय निम्न पैकिंग में आगरा एवं उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में प्रारम्भ किया जा चुका है।

1. **सहज गोल्ड (पाश्चुरीकृत फुल क्रीम दूध)**
   6.0% वसा एवं 9.0% वसा रहित ठोस
   सहज गोल्ड अन्य प्रकार के दूध के मुकाबले वसा से भरपूर, गाढ़ा एवं मलाईदार है। सहज गोल्ड बढ़ते बच्चों की सेहत के लिए आवश्यक सभी जरूरी तत्वों से भरपूर है। अपनी मलाई एवं गाढ़ेपन की वजह से इसका उपयोग पनीर, घी, मिठाई एवं अन्य व्यंजनों को बनाने में किया जा सकता है।

2. **सहज ताजा (पाश्चुरीकृत टोंड दूध)**
   3.0% वसा एवं 8.5% वसा रहित ठोस
   सहज ताजा में सहज गोल्ड के मुकाबले कम वसा की मात्रा होती है। चाय, दही, मिठाई एवं अन्य व्यंजनों को बनाने हेतु इसकी मांग हर घर में रहती है।

3. **सहज फिट एन फाइन (पाश्चुरीकृत होमोजोनाइज्ड डबल टोंड दूध)**
1.5% वसा एवं 9.0% वसा रहित ठोस
सहज फिट एन फाइन बहुत हल्का एवं कम वसा से युक्त है और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो वसा से परहेज करते है ओर दूध पीने से बचते हैं। यह नन्हें बच्चों की कैल्शियम की जरूरतों को भी पूरा करता है। यह कॉफी और चाय बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि इसके होमोजेनाइज्ड होने की वजह से यह चाय और कॉफी के स्वाद को बढ़ाता है।

4. **सहज स्लिम एण्ड स्मार्ट (पाश्चुरीकृत स्किम्ड दूध)**
0.5% वसा एवं 8.7% वसा रहित ठोस
सहज स्लिम एन्ड स्मार्ट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि वसा के अतिरिक्त दूध के बाकी सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल चाय एवं कॉफी बनाने में भी किया जा सकता है।

5. **सहज घी**

सहज घी शुद्ध, ताजा एवं दानेदार है। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि के क्षेत्र के ताजे व शुद्ध दूध से बना हुआ सहज घी आपके व्यवंजनों एवं खाने की गुणवत्ता, महक व स्वाद को बढ़ाता है।

6. **सहज छाछ/बटर मिल्क**

सहज छाछ ताजा, पौष्टिक एवं घर में बनी जैसी होती है। गर्मी में प्यास बुझाने के साथ ही यह पाचन शक्ति को भी बड़ाती है। अनेक व्यंजनों जैसे कि कढ़ी आदि बनाने में भी इसे प्रयोग किया जा सकता है।

<u>सहज ब्राण्ड के अन्तर्गत अन्य उत्पाद</u>

1. **सहज सुदाना**

कम्पनी अपने उत्पादक सदस्यों को अपने ''सहज सुदाना'' ब्राण्ड के अन्तर्गत प्रतिर्स्पधात्मक मूल्य पर संतुलित पशु आहार उपलब्ध करवा रही है। वर्तमान में सहज सुदाना पशु आहार उत्पादक सदस्यों के द्वारा अपने पशुओं की उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

2. **क्षेत्र विशेष खजिन मिश्रण**

कम्पनी ने ''सहज मिन'' ब्राण्ड के अन्तर्गत चिलेटेड पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का विपणन प्रारम्भ किया है। जिसमें उत्तर प्रदेश पश्चिम की मृदा में जिन तत्वों का आभाव है, उन्हीं को ,

सम्मिलित किया गया है। कॉपर, मैग्नीशियम एवं क्रोमियम की आधी मात्रा को कार्बनिक चिलेटेड के रूप में मिलाया गया है। जिससे कि इन तत्वों की जैव उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। सहज मिन का फार्मूला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा से तत्वों की उपलब्धता पर आधारित है। अतः कम्पनी उचित मूल्य पर पशुओं के लिए जिन तत्वों का आभाव है कि उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

उत्पादक संस्था निर्माण

विगत वर्ष के दौरान उत्पादक संस्था निर्माण विभाग (पी.आई.बी.) द्वारा पूरा ध्यान उत्पादकों के कार्य एवं जिम्मेदारियों तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं पर केन्द्रित था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उ.प्र. के कुल 10 जिलों में किया। जिसमें 1,65,554 लोगों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 50,417 दुग्ध उत्पादक एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 31530 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से उनके कार्य, जिम्मेदारियाँ एवं डेयरी क्षेत्र में उनकी सहभागिता और कम्पनी संचालन एवं अभिशासन विषय पर जागरूक किया गया।

सहज दुग्ध उत्पादक कम्पनी एक स्तरीय संरचना वाली कम्पनी है तथा बहुत बड़े उत्पादक सदस्यों वाली कम्पनी है। इसलिये कम्पनी एवं सदस्यों के बीच उपयुक्त संवाद बनाये रखने के लिये एक बहुत ही मजबूत एवं प्रभावशाली संवाद तन्त्र की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ग्राम स्तर पर 7,575 सदस्यों को ग्राम सम्पर्क समूह के रूप में तथा 1,990 सदस्यों को सदस्य सम्बन्ध समूह के लिए चयनित एवं प्रशिक्षित किया गया। सदस्य सम्बन्ध समूह के लिये चयनित सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु कुल 262 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 3,640 ग्रामीण युवकों को डेयरी व्यवसाय के महत्व एवं आजीविका के रूप में अपनाने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण स्कूल के कुल 4,318 विद्यार्थियों को डेयरी क्षेत्र की जानकारी दी गई तथा साथ ही साथ ही साथ दूध एवं दुग्ध उत्पादन के महत्व के प्रति विशेष रूप से जागृत किया गया और कम्पनी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

निदेशक मण्डल को डेयरी क्षेत्र के विकास एवं विभिन्न क्रिया कलापों की वृहद जानकारी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पशु प्रजनन केन्द्र सलोन, रायबरेली, एवं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो देश के विभिन्न भागों में किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में संलग्न है, के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उप–परियोजना

कम्पनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्धन इकाई को निम्नलिखित तीन उप परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया था।

1. ग्राम आधारित दूध उपार्जन पद्धति
2. आहार संतुलन कार्यक्रम
3. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

राष्ट्रीय डेयरी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा उपरोक्त सभी उप–परियोजनाओं को स्वीकृति और अनुदान प्रदान किया गया। कम्पनी के द्वारा सभी परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश के दस जिलों आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, ईटावा, मैनपुरी, मुरादाबाद, बदाँयू और जे.पी.नगर में क्रियान्वित किया गया है।

ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन प्रणाली :

ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कंपनी के विभिन्न हित धारकों की क्षमता का विकास, जागरूकता, प्रशिक्षणों एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से कंपनी को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी खरीद प्रणाली और सही समय पर सदस्यों का भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध खरीद प्रणाली के माध्यम से छोटे किसानों को संगठित कर डेयरी के माध्यम से पूरे साल उनको बाजार उपलब्ध कराना है। जिससे उनके दूध की बिक्री सुनिश्चित हो सके।

पिछले वर्ष कंपनी ने 2,661 दूध संग्रह बनाये और कंपनी ने 3.68 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन एकत्रित किया। कंपनी ने 1,610 सहायकों को प्रशिक्षण दिया, इसके अतिरिक्त गाँव स्तर पर क्षेत्र प्रभारी, पी.आई.बी. अधिकारी तथा सुपरवाइजर के द्वारा भी मीटिंग लेकर दुग्ध उत्पादकों को कंपनी के बारे में अवगत कराया गया। सभी एम.सी.सी. स्टाफ, फील्ड स्टाफ, सहायकों व अन्य स्टाफ को गुणवत्ता– आश्वासन, संचालन एवं रखरखाव, टीम बिल्डिंग और नेतृत्व, कौशल विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

आहार संतुलन कार्यक्रम :

आहार संतुलन कार्यक्रम एक परामर्श सेवा है जिसके तहत पशुपालक को उपलब्ध पशु खाद्य व चारों के समुचित उपयोग हेतु इनाफ (INAPH) सॉफ्टवेयर के प्रयोग से स्थानीय संसाधक व्यक्ति द्वारा वैज्ञानिक सलाह दी जाती है जिससे क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का उपयोग करते हुए दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो, स्वास्थ्य में सुधार हो एवं दुग्ध उत्पादन की लागत घटे तथा पशुपालक की आमदनी में वृद्धि हो।

आहार संतुलन कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन, स्वास्थ्य व प्रजनन को तकनीकी की निवेश व सेवाओं के साथ पशु खाद्य की वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से बेहतर बनाना है। दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को लाभकारी बनाने एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के ध्येय से यह सेवाएँ उत्पादक के घर पर दी जा रही है।

एल.आर.पी. को इनाफ सॉफ्टवेयर के साथ नेट बुक व इण्टरनेट कनेक्शन से सुसज्जित किया गया है, जिससे वह किसान के घर पर ही आहार संतुलन सलाह तैयार कर सकें। एक एल.आर.पी. कार्यक्रम को दो ग्रामों में लागू करेगा तथा लगभग 120 पशुओं हेतु किसान के घर पर ही आहार संतुलन सलाह सेवाएँ एवं खनिज मिश्रण उपलब्ध करायेगा। एल.आर.पी. को पशुपालन की आधारभूत जानकारियों, किसानों से संवाद, इनाफ सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न क्रियाओं में प्रशिक्षित किया गया है। इसकी मदद से एल.आर.पी. दुग्ध उत्पादक किसानों को बेहतर सेवाएँ दे रहे है। ग्राम जागरूकता सभाओं के दौरान एल.आर.पी. का परिचय कराया जाता है। जागरूकता अभियान के एक हिस्से के रूप में ग्राम में टिन साइनेज व पोस्टर्स आदि लगाये जाते है।

पिछले वर्ष कंपनी ने आहार संतुलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,856 गाँवों में अपनी सुविधाएं प्रदान की। जिसके अनुसार कंपनी ने 85,141 किसानों/सदस्यों के 1,00,862 पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया।

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने, दुग्ध उत्पादन की लागत खर्च में कमी लाने और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादकों तक उच्च अनुवांशिकी वीर्य का उपयोग कर उच्च प्रशिक्षित योग्य तकनीशियन के द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को अपनाकर उनके घर की दहलीज तक गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवाऐं पहुँचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेरी योजना–1 के अन्तर्गत एक उप परियोजना – कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

सहज स्थानीय युवाओं को चयनित कर तथा उन्हें एन.डी.डी.बी. के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का कड़ा प्रशिक्षण प्रदान करवाती है। कृत्रिम गर्भाधान की सेवा प्रदान करते समय स्वच्छता के महत्व के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से पहचान हेतु इयर टेगिंग करना, पुनः उत्तेजित होने पर गर्भाधान के 21 दिनों के बाद पुनः कृत्रिम गर्भाधान करना, 90 दिनों के बाद गर्भावस्था जाँच कार्यवाही को पूरी करते हुए बछड़े का जन्म करवाना एवं इनाफ में दर्ज करना जैसे – प्रशिक्षण करवाये जाते है। प्रशिक्षण के उपरान्त तकनीशियन को कार्यक्षेत्र में भेजकर पर्याप्त अनुभव प्रदान करवाया जाता है, तथा उसके बाद उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान किये जाते है।

कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण के उपरान्त तकनीशियन को समुचित सामग्री के साथ कार्यक्षेत्र में तैनात किया जाता है। जो पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराते है। 20 तकनीशियन के ऊपर एक कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तथा 3 कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी के ऊपर एक पशु चिकित्सा अधिशासी एवं 3 से 4 पशु चिकित्सा अधिशासी के ऊपर एक प्रजनन विशेषज्ञ और 4 प्रजनन विशेषज्ञ के ऊपर मुख्यालय स्तर पर एक प्रबन्धक प्रजनन सेवाएँ की नियुक्ति होती है, जो पूरी परियोजना के सुचारू रूप से संचालन एवं उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार होता है।

पिछले वर्ष सहज ने 2,076 गाँवों में 247 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की मदद से 38,776 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किये गये।

गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता ने हमारी कंपनी के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमारे सभी दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दूध की रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता की जाँच करने के साथ ही किसी भी प्रकार की मिलावट की जाँच करने हेतु पूर्ण रूप से विकसित एवं सुसज्जित है। हमारे यहाँ पर प्राप्त होने वाले अथवा हमारे यहाँ से प्रेषित होने वाले दूध की जाँच के लिए हमने हमारे सभी दुग्ध अवशीतन केन्द्रों पर सोडियम मीटर, डिजिटल बी.आर.मीटर, इलेक्ट्रोनिक दुग्ध विश्लेषक, रैमी सेंट्रीफ्यूज, सोडियम मीटर, आर.एम. परीक्षण सुविधा जैसे अत्याधुनिक एवं उच्च विश्लेषणात्मक उपकरणों की व्यवस्था की है।

हमारे दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हमने दुग्ध व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं जैसे कि दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर प्राप्त होने वाले कच्चे दूध की गुणवत्ता (एम.बी.आर.टी) में लगातार सुधार हेतु प्रोत्साहन योजना, विभिन्न नियमों (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली, अच्छी स्वच्छता प्रणाली आदि) के कठोर अनुपालन आदि को हमारी दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में प्रभावी रूप से लागू किया है।

हमारी उच्च प्रशिक्षित टीम सभी प्रासंगिक गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं के मानदंडों को पूरा करने में समर्थ है। हमारे दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट से बचने के लिए एवं निरन्तर सुधार की हमारी भविष्य की योजना के तहत अपने उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्रदान करने हेतु हम हमारे प्रयोगशाला प्रभारियों/कैमिस्टों/गुणवत्ता कर्मियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम उन्हें दुग्ध परीक्षण प्रक्रियाओं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियक के मानदंडों, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली, स्वच्छ दूध उत्पादन, सी.आई.पी., अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देते है।

बाजार में प्रदाय किये जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक कड़ा गुणवत्ता तंत्र विकसित किया है एवं कंपनी अपने उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पूर्णतयाः आश्वस्त है।

निदेशक

श्री अजय कुमार खोसला की विशेषज्ञ निदेशक के रूप 4 मई 2015 से दो वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है।

श्री सोमेन बिस्वास की विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 4 नवम्बर, 2015 से दो वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है।

श्री अनिल कुमार की 16 मार्च, 2016 से कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है।

निदेशक मण्डल की संरचना और निदेशकों की पुनर्नियुक्ति

अनुच्छेद 9.6 (i) के अन्तर्गत कम्पनी कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक चौथाई निदेशकों को अपनी वार्षिक आम सभा में बारी–बारी से सेवानिवृत्त करेगी और उनकी अनुच्छेद 9.5 के अन्तर्गत पुनः नियुक्ति करेगी।

इसके अलावा अनुच्छेद 9.5(i) के अन्तर्गत जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के संरक्षण के आधार पर सदस्यों में से प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड पर पदों की संख्या का निर्धारण सम्बन्धित वर्ग के अनुसार किया जायेगा। हालांकि कम्पनी के परिचालन के पहले तीन वर्षों के लिये बोर्ड द्वारा इस आवश्यकता को छूट दी गई है।

निम्नलिखित निदेशक जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे है

श्री दिग्विजय सिंह इस आम बैठक में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे है, और स्वयं को पुनः निदेशक के पद के उम्मीदवार के रूप में पुन निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है। निदेशक मंडल इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री चन्द्र पाल सिंह इस आम बैठक में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे है, और स्वयं को पुनः निदेशक के पद के उम्मीदवार के रूप में पुन निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है। निदेशक मंडल इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री मुरारी लाल इस आम बैठक में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे है, और स्वयं को पुनः निदेशक के पद के उम्मीदवार के रूप में पुन निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है। निदेशक मंडल इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

प्रस्तावित नियुक्ति

श्री अनिल कुमार जिनकी नियुक्ति 16 मार्च, 2016 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में हुई थी एवं जिनका कार्यकाल तृतीय वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक है। निदेशक मंडल इनकी निदेशक के रूप में नियुक्ति की सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

निदेशकों के नाम एवं योग्यता की सूची नियुक्ति/पुनः नियुक्ति हेतु तीसरी वार्षिक आम सभा के नोटिस के साथ संलग्न है।

सदस्यता/वोट देने का अधिकार/अंश पूँजी

31 मार्च, 2016 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी रूपये 8.97 करोड़ थी, और 60,602 सदस्य थे जिनका नाम कम्पनी के अंशधारकों के रजिस्टर में अंकित था।

31 मार्च 2016 के पश्चात् कम्पनी में 9,478 नये सदस्यों को जोड़ा गया और 2,721 सदस्यों की सदस्यता मानदंडों को पूरा ना करने के कारण रद्द कर दी गई है। तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या 67,359 है और कम्पनी की कुल अंश पूँजी रूपये 9.68 करोड़ है।

वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार

तृतीय वार्षिक आम सभा में 60,602 सदस्यों में से कुल 16,783 सदस्यों के पास वोट का अधिकार है, जिन्होंने 200 दिन और 500 लीटर दूध पिछले वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दिया है, और 43,819 सदस्यों ने मानदंडों को पूरा न करने के कारण अपना वोट देने का अधिकार खो दिया है।

31 मार्च, 2016 के पश्चात् कम्पनी के साथ जो नये सदस्य जुड़े है, उनको वर्ष 2015–16 का सीमित लाभांश व तीसरी आम बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी :

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) में निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरणी देना आवश्यक है, आपके निदेशक दिखाते है कि –

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया एवं उससे कोई प्रमुख विचलन नहीं है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किये गये हैं जो कि इतने तर्कसंगत एवं उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

3. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल कपट/धोखेबाजी को रोकने एवं बचाव हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख–रखाव में आवश्यक एवं उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

4. निदेशकों ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 से सम्बन्धित वित्तीय विवरण, प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित जगह पर है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि कम्पनी में सभी परिसम्पत्तियों और लेन–देन की सही ढंग से रिपोर्ट दर्ज की गई है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZF के अर्न्तगत मैसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एल.एल.पी. चार्टड एकाउटेण्ट्स को स्वतन्त्र रूप से कम्पनी का आन्तरिक अकेंक्षक नियुक्त किया गया है। जो स्वतन्त्र रूप से कंपनी की आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति के औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते रहते है।

वैधानिक अंकेक्षक एवं उनकी रिपोर्ट

कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी चार्टड एकाउन्टेण्ट्स गुड़गांव, हरियाणा से है एवं इनकी फर्म का आई.सी.ए.आई. में पंजीकरण संख्या – 101496W है, द्वितीय वार्षिक साधारण सभा जो दिनांक 23 सितम्बर 2015 को हुई थी में नियुक्त हुए थे एवं उनका कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के साथ खत्म हो जाएगा।

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स जो अंकेक्षक की नियुक्ति के योग्य हैं और उन्होंने नुियक्ति एवं पारिश्रमिक से सम्बन्धित प्रस्ताव रखा है जिससे कि उनका कार्यकाल तृतीय वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से चर्तुथ वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति पर खत्म होगा। यदि इसे सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होता है।

कम्पनी के अंकेक्षकों से इस आशय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है कि यदि उनकी पुन: नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (1बी) के प्राविधानों के अनुसार होगी।

आपके निदेशक मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी आम सभा में नियुक्ति करने की अनुशंसा करते हैं।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसका विवरण बोर्ड को देना है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) को कम्पनी (कर्मचारियों के विवरणी) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जाये, का अनुसरण करते हुए समीक्षाधीन अवधि में किसी भी कर्मचारि ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय एवं निकासी

कंपनी अधिनियम 1956 की धरा 217 (1ई) इसे कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियम 1988 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार जानकारी इस प्रकार है –

1. कंपनी नियमों के भाग ए एवं बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के सम्बन्ध में वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होते है।

2. विदेशी विनियम आय तथा निकासी – आय, शून्य, निकासी – शून्य।

आभार

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं।

निदेशक, बैंकों, कर्मचारियों, वैधानिक अंकेक्षकों, आन्तरिक अंकेक्षकों, केन्द्र एवं राज्य सरकार और अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों के लगातार कंपनी को सहयोग देने के लिए, अपने अन्तर्मन से सभी को धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मण्डल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मण्डल
ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष एवं निदेशक

दिनांक – 11 अगस्त, 2016
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 को कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सहज मिल्क प्रोड्यसर कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों, संक्षिप्त महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में वर्णित लेखामानकों तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों का दायित्व कंपनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है। जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता तथा रोकड़ प्रवाह की सही जानकारी प्रदान करते हों जो कि कंपनी लेखांकन (नियम) 2014, (जो कि भारत में स्वीकार्य है) लेखांकन सिद्धांतों जोकि अधिनियम की धारा 133 में वर्णित हैं, के अनुरूप है। इसमें वे सभी दायित्व सम्मलित हैं जो अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है, जिससे कंपनी के वित्तीय लेखों की सही जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों (जिसमें कि और लेखांकन सिद्धांतों का सही चुनाव और क्रियान्वयन, उचित और तर्कसंगत अनुमानत लगाना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से सम्बन्धित एक प्रक्रिया बनाना, उसे लागू करना और उसे बनाये रखना शामिल है।)

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षण के स्व विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिए गए गलत तथ्यात्मक कथनों से सम्बंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतु अंकेक्षण इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कंपनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कंपनी के

वित्तीय लेखे तैयार कर उसके उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक है। परन्तु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। साथ ही अंकेक्षकों का उद्देश्य लेखांकन के लिए प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा प्रबंधन के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षण पर राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2016 को कंपनी का चिट्ठा, वर्ष समापन की तिथि को लाभ–हानि खाता और वर्ष समापन की तिथि को रोकड़ प्रवाह खाता, आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप, अधिनियम के अंतर्गत सत्य एवं निष्पक्ष सूचनायें देते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

- अधिनियम की धारा 147 (11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश, 2015 (आदेश) के अंतर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित तथ्यों पर विवरण अनुलग्नक 1 में दिया है।

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 में ZG में वर्णित तथ्यों पर हमने विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। (कंपनी अधिनियक, 2013 की धारा 465 के अनुसार, भाग IXA के उपनियम वैसे ही लागू होंगे जैसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं।

- अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

  - हमने वे सभी सूचनायें तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

  - हमारी राय में कंपनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गए परीक्षण से प्रकट होता है।

  - इस रिपोर्ट में वर्णित कंपनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

- हमारी राय में कंपनी का चिट्ठा, हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियक 2013, की धारा 133 एवं कंपनी लेखानियम, 2014 के नियम 7 अनुरूप हैं।

- कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च 2016 के अनुसार को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए आयोग्य नहीं है।

- कम्पनीज (ऑडिट एण्ड ऑडिटर्स) रूल्स, 2014, के अनुरूप तथा जो तथ्य हमें दिए गये है, उनके अनुसार :

    1. कंपनी के विरूद्ध ऐसा कोई भी विवाद जारी नहीं है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो।

    2. कंपनी की किसी के साथ कोई भी डेरीवेटिव कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे कोई भी वित्तीय हानि होती हो।

    3. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

स्तंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–I

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 को देखे।

कंपनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति एवं अवधि के दौरान कम्पनी के परिणामों की प्रकृति को देखते हुए आदेश के पैराग्राफ 3 के उपनियम (vi) एवं (viii) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(i) कंपनी की अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में

अ. कंपनी की अचल सम्पत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित रिकॉर्ड बना रखे है।

ब. वर्ष के दौरान कंपनी प्रबंधन के द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है। जिसमें सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है।

(ii) रहतिया के सम्बन्ध

अ. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी प्रबंधन द्वारा रहतिया का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में प्रबंधन द्वारा रहतिया के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कंपनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उचित एवं सही है।

स. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा रहतिया का उचित रिकॉर्ड रखा गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार कंपनी ने किसी भी कम्पनियों, फर्मों या रजिस्टर में दर्ज किसी भी पक्षकार अथवा पक्षकारों से किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण दिया या लिया नहीं है।

(iv) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए खरीदे गए कुछ सामान विशेष प्रकृति के है तथा इनके उपयुक्त विकल्प तुलनात्मक कुटेशन प्राप्त करने के लिए सरलता से उपलब्ध नहीं है। कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के प्रकृति के अनुसार माल व अचल सम्पत्तियाँ क्रय करने तथा माल के विक्रय हेतु उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विधिमान है। वर्ष के दौरान कंपनी का संचालन सेवाओं की किसी भी बिक्री को उत्पन्न होने नहीं देता है। अंकेक्षण के दौरान अंतरिम नियंत्रण प्रक्रिया में हमें कोई महत्वपूर्ण कमी नजर नहीं आई।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आम जनता से किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश के उपनियम 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें वैधानिक देयताओं के बारे में प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :

अ. कंपनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रयकर, सेवाकर तथा अन्य कोई भी कंपनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकारण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं बंधन जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ।

ब. 31 मार्च, 2016 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे– भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सरंक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धनकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय जिसको 6 माह हो गए हो।

स. आयकर, विक्रय कर, धनकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से की गई ऐसी कोई राशि 31 मार्च, 2016 को देय नहीं जिसको किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

द. कंपनी अधिनियम 1956 तथा इसके नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं सरंक्षण निधि में किसी प्रकार की कोई भी राशि स्थानान्तरित नहीं की गई है।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थाओं से किसी प्रकार का कोई भी ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के उपनियम 3 (ix) लागू नहीं होते हैं। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी और के द्वारा लिए गए ऋण किसी प्रकार के गारंटी/जमानत नहीं दी है।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी दीर्घ अवधि ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के उपनियम 3 (xi) लागू नहीं होते है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस दौरान नहीं देखा गया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–II

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के पैराग्राफ 2 को देखें

1. विक्रय किये गए माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 13 में हैं। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियां पुनः प्राप्त हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास किसी भी प्रकार निवेशी या प्रतिभूतियां नहीं है।

3. 31 मार्च, 2016 को सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं प्रमाणीकरण नहीं किया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2016

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
A-	शेयर और देयताएं			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	897,68,900	221,99,000
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	1324,97,431	436,28,876
			2222,66,331	658,27,876
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन		135,52,330	
	3. अस्थिगत अनुदान	5	1147,93,988	
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	1376,63,000	–
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	7	54,08,404	7,13,105
			1430,71,404	7,13,105
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	8	9966,75,183	
	(b) व्यापारिक देनदार	9	2465,35,810	1728,53,782
	(C) अन्य तरल देयताएं	10	940,25,594	1582,65,650
	(d) लघु अवधि प्रावधान	11	269,05,824	221,34,135
			13641,42,411	3532,53,567
			18578,26,464	**4197,94,548**
B-	आस्तियां			
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	12(a)	3151,87,574	1447,14,135
	(ii) अमूर्त संपत्ति	12(b)	24,76,625	.
	(iii) कार्यरत पूँजी	12(c)	161,15,874	.
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	13	15,11,728	5,09,878
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	14	113,40,720	12,15,160
			3466,32,521	1464,39,173
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	12	344,21,845	214,80,123
	(b) व्यापारिक देनदार	13	10584,33,942	1619,12,063
	(C) रोकड़ और रोकड़ समरूप	14	4029,27,428	876,70,260
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	15	77,73,848	18,38,417
	(e) अन्य चल आस्तियां	16	76,36,880	4,54,512
			15111,93,943	2733,55,375
	कुल योग		**18578,26,464**	**4197,94,548**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2016

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	20	48944,65,580	1,582,467,790
2.	अन्य आय	21	121,07,922	4,532,472
3.	कुल आय		**49065,73,502**	**1,587,000,262**
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	22	44558,70,460	1,459,061,740
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	23	(129,41,722)	(21,480,123)
	(C) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	24	489,06,595	10,863,525
	(d) व्यावसायिक लागत	25	333,46,909	1,071,590
	(e) ह्रास खर्च	12	419,67,095	11,912,907
	(f) अन्य खर्चे	26	1857,53,086	56,529,807
	कुल खर्चे		**47529,02,423**	**1,517,959,446**
5.	कर से पूर्व आय		1536,71,079	69,040,816
6.	कर सम्बन्धी खर्चे			
	(a) वर्तमान कर		550,00,000	23,250,000
	(b) स्थगित कर (कुल)		(10,01,850)	(509,878)
	कुल कर खर्चे		539,98,150	22,740,122
7.	सम्बन्धित वर्ष का लाभ		**996,72,929**	**46,300,694**
8.	प्रति अंश आय			
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		328.97	375.98
	(b) डायलूटेड		328.57	375.98

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता (राशि ₹ में)

क्र. स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
A.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर से पूर्व लाभ	1536,71,079	69,040,816
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(98,74,471)	(505,014)
	व्यावसायिक लागत	333,41,894	1,067,343
	कर्मचारी हित खर्चे	55,34,743	871,581
	ह्रास खर्च	419,67,095	11,912,907
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**2246,40,340**	**82,387,633**
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(129,41,722)	(21,480,123)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	(8965,21,879)	(161,912,063)
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(15,89,417)	(1,215,160)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(59,35,431)	(1,838,417)
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	736,82,028	172,853,782
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	705,07,211	2,387,239
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	**(5481,58,870)**	**71,182,891**
	कुल आयकर भुगतान	(607,95,370)	(5,013,502)
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	**6089,54,240**	**66,169,389**
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	(3519,82,457)	(35,000,000)
	अचल आस्तियों की खरीद	(2744,45,094)	(748,631)
	ब्याज प्राप्ति	26,92,104	50,502
	निवेश में व्यय कुल रोकड	**(6237,35,447)**	**(35,698,129)**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	675,69,900	22,199,000
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	135,52,330	
	लम्बे समय तक उधारी से प्राप्त आय	13,766,3000	
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	99,667,5183	
	लाभांश कर सहित भुगतान	(7,19,048)	
	वित्तीय लागत का भुगतान	(18776966)	
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	**11959,64,399**	**52,670,260**
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**(367,25,288)**	
	वर्ष के शुरू में रोकड़	526,70,260	52,670,260
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	**159,44,971**	**52,670,260**
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	159,44,971	526,70,260
	कुल रोकड़ प्रवाह	159,44,971	526,70,260
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप में नही माना बैंक बैलेंस	3869,82,457	350,00,000
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	**4029,27,428**	**876,70,260**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कंपनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

दिनांक 12 दिसम्बर 2014 से कंपनी ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रय करने का कार्य प्रारम्भ किया। कंपनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कंपनी कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है।

साथ ही साथ दुग्ध उत्पादकों को ''सहज सुदाना'' के नाम से (BIS-II) ग्रेड का संतुलित पशु आहार, चिलेटिड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण उचित कीमतों पर उपलब्ध कराती है। कंपनी में वर्ष 2016–17 की प्रथम तिहाही में उत्तर–प्रदेश के विभिन्न शहरी उपभोक्ताओं के लिए दुग्ध विक्रय (सहज गोल्ड, सहज ताजा, सहज फिट एन फाइन, सहज स्लिम एण्ड स्मार्ट) के नाम से प्रारम्भ किया है।

कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत पशुपालकों के लिए, दुग्ध उत्पादक क्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं शुद्ध आय में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिसमें प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन द्वारा मानक संचालन पद्धति को अपनाते हुए एवं उच्च गुणवत्ता के वीर्य का प्रयोग करते हुए उत्पादकों के घर पर सेवा दी जाती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

लेखांकन का आधार

कंपनी के लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2016 की धारा 133 से सम्बंधित लागू होने वाले प्रावधानों में दिए गए लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गए हैं। एम. सी. ए. निर्देश के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनीज पर लागू रहेंगे। कंपनी के वित्तीय विवरण, विवरण उपचय लेखांकन के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गए है।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं

व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)
रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में हमाये शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण
रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कंपनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

आय का निर्धारण
ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है। जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जन के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

अन्य आय
जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

अचल संपत्तियां (मूर्त)
अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रांस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल

किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

ह्रास

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछली रेप्लसमेंट्रस, टेक्नोलॉजी के बदलाव, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15	–
कम्प्यूटर्स	03	–
कार्यालय उपकरण	10	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में हैं मूल्य ह्रासित किया जाता है।

रहतिया

रहतिया में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल हैं। रहतिया का मूल्यांकन लागत पर और वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्तिथि में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित

कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कंपनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनीतौर पर लागू करने का अधिकार है।

सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कंपनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कंपनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारिण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के मालिक में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कंपनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च, 2016 को स्थिति राशि (₹ में)	31 मार्च, 2015 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च, 2015 को स्थिति राशि (₹ में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	2,000,000	200,000,000	2,000,000	200,000,000
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	8,97,689	897,68,900	221,990	22,199,000

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :–

नोट्स :–

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (₹ में)	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (₹ में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	221,990	22,199,000	221,990	22,199,000
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	6,75,699	675,69,900	–	–
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	8,97,689	897,68,900	221,990	22,199,000

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	436,28,876	
	जोड़ें लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	888,68,555	43,628,876
		1324,97,431	43,628,876
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	अवधि का लाभ	996,72,929	46,300,694
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल	8976,890	2,219,900
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल पर कर	18,27,484	451,918
	(iii) सामान्य संचय में अंतरित	888,68,555	43,628,876
	अंतिम शेष	–	–
	योग (a+b)	**1324,97,431**	**43,628,876**

Note 5 : आस्थगित अनुदान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2015 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया		
	पूँजी अनुदान वर्ष के दौरान उपयोग (नोट 32 देखें)	147311517	–
	कम : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया	32517529	–
	अन्तिम रहतिया	114793988	–

Note 6 : दीर्घकालीन उधारी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2015 को स्थिति
	सिक्योर्ड		
	(a) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण (एनडीडीबी)	137663000	–
		137663000	–

Note

(I) सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए सुरक्षा के विवरण के रूप में किया जा रहा है

कंपनी का ऋण, वर्तमान और भविष्य की चल संपत्ति पर एक पहला आरोप से सुरक्षित है, बंधक के मामले में और किताब को छोड़कर ऋण बचाने के लिए बनाया है और कंपनी के बैंकरों के पक्ष में पैदा किए जाने से पहले आरोपों के अधीन जैसे कच्चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, उपभोज्य दुकानों और किताब ऋण और इस तरह के अन्य चल संपत्ति के शेयरों केवल व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए ऋण लेने के लिए हासिल करने के लिए ऋणदाता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(II) दीर्घकालिक उधार की चुकौती की शर्तें इस प्रकार है:

अवधि के ऋण रूपये 17,27,37,000 मंजूर की गई है। ऋण ब्याज किया जाता है / प्रतिवर्ष 9% और ऋण अर्थात पहले संवितरण की तारीख की रिहाई से समझा प्रिंसिपल चुकौती पर 2 साल का एक अधिस्थगन अवधि के साथ 7 साल की अवधि में 60 समान मासिक किश्तों में चुकाया है।

Note 7 : दीर्घकालीन प्रावधान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	45,59,522	4,81,688
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	8,48,882	2,31,417
		54,08,404	7,13,105

Note 8 : लघु अवधि की उधारी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	असुरक्षित बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	9966,75183	0
		9966,75,183	–

Note 9 : व्यावसायिक देनदारियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	व्यावसायिक देनदारियां (स्वीकृतियो को छोड़कर) (See Note 33)	2465,35,810	1728,53,782
		2465,35,810	1728,53,782

Note 10 : अन्य चालू दायित्व

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	133,18,689	
(b)	धन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त किया प्रतिभूति और वापसी के लिए कारण	4,95,170	
(c)	अचल सम्पत्तियों के क्रय हेतु देय	58,59,685	155878411
(d)	लावारिस/अवैतनिक लाभांश	19,52,770	–
(e)	वैधानिक देय	22,92,279	1402269
(f)	व्यावसायिक एवं प्राप्त प्रतिभूति जमायें	584,98,913	984970
(g)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 32 देखें) प्राप्त	116,08,088	
		940,25,594	1582,65,650

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 11 : अल्पकालीन प्रावधान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	9,94,834	157,747,
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	3,086	729
(b).	आयकर हेतु प्रावधान	151,03,530	19,303,841
(c).	प्रावधान अन्य		
	(i) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल हेतु प्रावधान/डिवीडेट	89,76,890	2,219,900
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल हेतु कर प्रावधान	18,27,484	451,918
		269,05,823	**22,134,135**

Note 13 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	22,17,101	288170
	b. आयकर की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत	3,58,214	456297
	c. अन्य	–	0
		25,75,315	**7,44,467**
(ii).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का भाग हैं		
	a. अचल सम्पत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेष में अंतर पर	10,63,587	234589
		10,63,587	**2,34,589**
	शुद्ध स्थगित कर संपत्ति	**15,11,728**	**5,09,878**

Note 14 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	**पूंजी अग्रिम**	8187323	–
(b)	**जमा प्राप्तियाँ**	2804577	1215160
(c)	**एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)**	348820	–
		113,40,720	12,15,160

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 15 : स्टॉक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) स्टॉक इन ट्रेड	110,48,942	8677120
	(ii) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	227,60,637	12803003
	(iii) वीर्य	612265	–
		344,21,844	214,80,123

Note 16 : व्यवसायिक लेनदारियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गए		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	10579,14,699	161912063
(b)	अन्य	5,19,273	–
		10584,33,942	1619,12,063

Note 17 : रोकड़ तथा रोकड़ समान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह	159,44,971	52670260
	विवरण AS-3 के अनुसार	159,44,971	526,70,260
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 6 माह अधिक	3850,29,687	35000000
	(ii) निर्धारित खाते में	–	–
	अवैतनिक लाभांश खातों में	1952770	–
		4029,27,428	876,70,260

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 18 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	63,27,554	10,50,557
(b)	अग्रिम कर	11,86,407	787860
(c)	ऋण और कर्मचारियों को अग्रिम	2,02,831	–
(d)	वैट के अधिकार के साथ संलग्न	57,056	–
		77,73,848	18,38,417

Note 19 : अन्य तरल आस्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गए		
(a)	बैंक जमा पर अर्जित ब्याज लेकिन जो देय नहीं है	76,36,880	454512
		76,36,880	4,54,512

Note 20 : व्यवसाय से आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री	48944,65,580	1582467790
		48944,65,580	15824,67,790

विक्रय किये गए उत्पाद

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा माल	48810,73,608	1582467790
	b) पशु आहार	89,05,392	–
	c) वीर्य	44,86,580	–
		48944,65,580	15824,67,790

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 21 : अन्य आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	98,74,471	505014
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	12,89,250	4013850
	(ii) विविध आय	9,44,201	13608
		121,07,922	45,32,472

Note 22 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	कच्चा माल	41442,32,117	13592,63,909
(b)	खरीद व्यय	3014,31,920	997,97,831
(c)	पशु आहार	87,92,222	–
(b)	वीर्य	1414201	–
		44558,70,460	14590,61,740

Note 23 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 समाप्त अवधि पर	31 मार्च, 2015 समाप्त अवधि पर
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	214,80,123	–
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	344,21,845	214,80,123
		(129,41,722)	214,80,123
	शुद्ध कमी/वृद्धि	(129,41,722)	214,80,123

Note 24 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2015 समाप्त अवधि पर
(a)	वेतन एवं मजदूरी	435,10,230	95,87,185
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान	28,53,647	6,64,802
(c)	ग्रेच्युटी खर्चे	6,19,822	2,32,146
(d)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	19,22,896	3,79,392
		489,06,595	108,63,525

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 25 : वित्तीय लागत (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	अवधि ऋण	66,51,915	
(b)	बिल डिस्काउंटिंग	254,43,740	
(c)	सेवा कर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	5,015	4,247
(d)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	12,46,239	10,67,343
		333,46,909	10,71,590

Note 26 : अन्य व्यय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	239,62,871	55,01,992
(b)	पावर एवं फ्यूल	8,28,769	1,77,012
(c)	किराया	126,44,712	29,01,025
(d)	दर तथा कर	7,90,113	5,57,300
(e)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	107,84,229	45,66,034
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	32,89,384	1,79,328
(g)	प्रारंभिक व्यय	–	17,25,103
(h)	अग्रिम भाड़ा एवम् वितरण व्यय	623,61,036	250,11,986
(i)	बीमा व्यय	21,84,539	3,93,930
(j)	विधिक एवं पेशेवर शुल्क	145,61,956	14,71,622
(k)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	8,34,293	5,70,000
(l)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	95,01,425	28,04,643
(m)	मजदूरी व्यय	360,97,822	83,56,785
(n)	सम्प्रेषण व्यय	28,28,332	6,41,370
(o)	विविध व्यय	46,42,641	16,71,677
(p)	मरम्मत और रखरखाव – इमारतों	1,01,385	–
(q)	विज्ञापन और व्यापार को बढ़ाने के व्यय	3,39,579	–
		1857,53,086	565,29,807

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है (राशि ₹ में)

क्र. स.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	6,00,000	4,25,000
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	1,00,000	75,000
(c)	कर्मचारियों द्वारा किया गया खर्चा	25,472	–
(d)	उपरोक्त कर सेवाकर	1,08,821	70,000
		8,34,293	5,70,000

Note 27 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां	–	–
(b)	प्रतिबद्धताएं	–	–
	शेष ठेके की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर क्रियान्वित करने के लिए प्रदान नहीं की (रूपये का भुगतान किया अग्रिमों का शुद्ध 81,87,323/– पिछले वर्ष रूपये शून्य)	1307,99,603	–

Note 28 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी योगदान योजनाएं

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कंपनी ने रू0 28,53,647/– (पिछले वर्ष 6,64,802 रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,32,146	–
	ब्याज लागत	18,340	–
	वर्तमान सेवा लागत	6,88,131	2,32,146
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	(86,649)	–
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**8,51,968**	**2,32,146**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(ii)	**चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	8,51,968	2,32,146
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	**8,51,968**	**2,32,146**

(iii) : लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	6,88,131	2,32,146
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध लाभ/हानि	18,340	–
	व्यय लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त	(86,649)	–
	लाभ/हानि में स्वीकृत व्यय	**6,19,822**	**2,32,146**

(iv) : चिट्ठे का मिलान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	उपरोक्तानुसार व्यय	2,32,146	2,32,146
	योगदान	6,19,822	–
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियों)	**8,51,968**	**2,32,146**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(v) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.95% प्रतिवर्ष	7.95% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	–	–
	संघर्षण दर	13.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	24.45 वर्ष	20.52 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

(vi) : अनुभव समायोजन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	8,51,968	2,32,146
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	–	–
	पोषित स्थिति	8,51,968	2,32,146
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	(86,649)	–
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	–	–

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.95% प्रतिवर्ष	7.95% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	–	–
	संघर्षण दर	13.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	24.45 वर्ष	20.52 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

लीज व्यवस्था

कंपनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है जो कि आपसी सहमति और शर्तों के आधार पर नवीनीकरण योग्य है। कंपनी ने लीज किराया सम्बन्धी रू. 2101025/– के ग्राहकों का लाभ–हानि खाते में दर्शाया है।

Note 29 : भावी न्यूनतम लीज निम्न प्रकार है। (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नहीं	27,37,368	7,10,875
	एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	57,02,850	8,61,840
	पाँच वर्ष बाद देय	–	9,73,674
		84,40,218	25,46,389

Note 30 : प्रति समता अंश आय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	संख्या	996,72,929	463,00,694
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	रूपये	3,02,983	1,23,148
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	संख्या	328,97	375.98
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	रूपये	3,03,353	1,23,148
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय		328.57	375,98

Note 31 :

लेखा–मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण'' का विवरण निम्न प्रकार है :–

सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person)
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	डॉ. ऋषि राज सिंह चीफ एग्जीक्यूटिव

उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	KMP	Total	Total
प्रबंधक पारिश्रमिक	32,39,934	32,39,934	–
डॉ. ऋषिराज सिंह	(8,55,684)	(8,55,684)	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 : सरकारी अनुदान का विवरण (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
	अनुदान का विवरण एन.डी.डी.बी. डेयरी सेवाएं और इसके उपयोग से प्राप्त इस प्रकार है:	266379000	0
	(a) वर्ष के दौरान प्राप्त		
	(b) वर्ष के दौरान उपयोग		
	(अ) पूँजी पर सम्पत्ति के लिये		
	अचल सम्पत्तियों के लिए	130053517	0
	स्थापना के तहत संपत्ति के लिए (CWIP)	9070677	0
	अग्रिम पूँजी के लिये	8187323	0
		147311517	0
	(ब) राजस्व खर्च के लिए	107459395	0
	कुल योग (अ) एवं (ब)	254770912	
	शेष (अ) एवं (ब)	11608088	

Note 33 :
प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी रही बकाया नहीं है।

Note 34 :
कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 35 :
कम्पनी ने शेयर के रूप में रूपये 1,35,52,330 का आवेदन प्राप्त किया था, जो आवंटन 6 महीने के भीतर किया जायेगा।

Note 36 :
यह वित्तीय विवरण 17 अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 अवधि से सम्बन्धित है। यह कम्पनी का प्रथम वर्ष है इसलिए पिछले तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह/–
महेश चन्द्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कंपनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबन्धक

स्थान : आगरा
दिनांक : 11 अगस्त 2016

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 12 : अचल सम्पत्ति

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2015	Additions	As at April 31, 2016	As at April 1, 2015	Depreciation Charge	As at 31 March, 2016	As at 31 March, 2016	As at 31 March, 2015
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	1505,95,233	1654,69,157	3160,64,390	114,19,306	471,95,759	586,15,065	2574,49,325	1391,75,927
		(–)	(1505,95,233)	(1505,95,233)	(–)	(114,19,306)	(114,19,306)	(1391,75,927)	(–)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	16,72,823	121,07,923	137,80,746	35,410	122,34,087	122,69,497	15,11,249	16,37,413
		(–)	(16,72,823)	(16,72,823)	(–)	(35,410)	(35,410)	(16,37,413)	(–)
	दफ्तर के उपकरण	2,82,445	27,59,112	30,41,557	18,926)	99,337	1,18,263	29,23,294	2,63,519
		(–)	(2,82,445)	(2,82,445)	(–)	(18,926)	(18,926)	(2,63,519	(–)
	कम्प्यूटर	40,76,541	643,18,300	683,94,841	4,39,265	146,51,870	150,91,135	533,03,706	36,37,276
		(–)	(40,76,541)	(40,76,541)	(–)	(4,39,265)	(4,39,265)	(36,37,276)	(–)
	कुल (A)	**1566,27,042**	**2445,54,492**	**4012,81,534**	**119,12,907**	**741,81,053**	**860,93,960**	**3151,87,574**	**1447,14,135**
(b)	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले अवधि संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।								
	अमूर्त संपत्ति (अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)	–	27,80,196	27,80,196	–	3,03,571	3,03,571	24,76,625	–
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
	कुल (B)	–	**27,80,196**	**27,80,196**	–	**3,03,571**	**3,03,571**	**24,76,625**	–
	गत वर्ष	–	–	–	–	–	–	–	–
(c)	पूँजी कार्य में प्रगति		161,15,874	161,15,874				161,15,874	
	कुल (c)	–	**161,15,874**	**161,15,874**	–	–	–	**161,15,874**	–
	(A+B+C)	**1566,27,042**	**2635,50,562**	**4201,77,604**	**119,12,907**	**744,84,624**	**863,97,531**	**3337,80,072**	**1447,14,135**

नोट :

		31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		
	मूर्त संपत्ति	741,81,053	119,12,907
		3,03,571	

(i) अमूर्त संपत्ति

कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया	325,17,529	
	419,67,095	**119,12,907**

(iii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 32 देखें):

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2015	Additions	As at April 31, 2016	As at April 1, 2015	Depreciation Charge	As at 31 March, 2016	As at 31 March, 2016	As at 31 March, 2015
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	–	6,90,03,612	690,03,612	–	113,13,231	113,13,231	576,90,381	–
	फर्नीचरण व फिक्सचर	–	27,12,852	27,12,852	–	63,168	63,168	26,49,684	–
	दफ्तर के उपकरण	–	121,07,923	121,07,923	–	121,07,923	121,07,923	–	–
	कम्प्यूटर	–	462,29,130	462,29,130	–	90,33,207	90,33,207	371,95,923	–
	योग	–	**1300,53,517**	**1300,53,517**	–	**325,17,529**	**325,17,529**	**975,35,988**	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

तृतीय वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की तृतीय वार्षिक साधारण सभा शनिवार 10 सितम्बर, 2016 को पूर्वाहन 11:30 बजे होटल क्लार्क्स शीराज, 54 ताज रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी –

1. **31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करना।**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट एतद्द्वारा अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी के सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी रूपये 10/– प्रति समता अंश की दर से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन. 06963747), जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्त के लिए योग्य हैं, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

4. **श्री चन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 06964687), जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्त के लिए योग्य हैं, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

5. **श्री मुरारी लाल (डी.आई.एन. 06966195), जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्त के लिए योग्य हैं, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

6. **वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुड़गाँव, हरियाणा जिनका आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या–101496 डब्ल्यू है एवं जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में, रूपये 6.60 लाख (रूपये छः लाख साठ हजार) वार्षिक पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले सेवाकर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।''

7. **कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581 एस (1) (ए) प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट, एतद्दारा अनुमोदित किया जाता है।''

8. **श्री अनिल कुमार की नियुक्ति निदेशक के रूप में, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त के सम्बन्ध में विचार विमर्श करके अनुमोदन करना और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066), जिन्हें कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.7(1) के अनुसार दिनांक 16 मार्च, 2016 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख तक इस पद को धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और योग्यता को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो कि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

9. **विचारोपरान्त परिभाषित मानदंडों पर आधारित निम्नलिखित रूप से साधारण संकल्प द्वारा बोर्ड पर रिक्त पदों के लिए पत्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए मंजूरी देना।**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भाग IX-A सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और ज्ञापन–पत्र व कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा–निर्देश एतद्दारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जाते है (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः– अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) जो कि इस प्रकार है–

(i) बोर्ड, 'कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक–सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'' का बोर्ड एक ''नामांकन समिति'', का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह में करेगा।

(ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी–ए, श्रेणी–बी या श्रेणी–सी वर्ग के अर्न्तगत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा की जायेगी। नामांकन समिति द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना–पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिस श्रेणी की रिक्तता होगी उसे कंपनी की वेबसाईट पर भी दिखाया जायेगा तथा उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।

(iii) अनुच्छेद के तहत, बोर्ड ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना 'नामांकन समिति' द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) ''नामांकन समिति'' निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी के योग्यता अंक' पर विचार करेगी।

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे : (95% या अधिक दिन – 25, 85% से < 95% दिन–20, 75% से < 85% – 15 65% से < 75% – 10, 55% से < 65%–5, <55%–0)	25
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार शेयर पूँजी अभिदान वास्तविक आवश्यकता के 10% से कम नहीं होना चाहिए।	10
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व–घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	10
सदस्य अर्हता निरन्तर बनाए रखी (पिछले 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 3 अंक)	15
प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता से कहीं अधिक – स्नातकों के लिए – 10 और स्नातक से आगे – 15) न्यूनतम योग्यता अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक) वीसीजी के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (5 अंक)/एमआरजी (5 अंक)/ सहज (एसएमपीसीएल) के बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (15 अंक)	15

कम्पनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त किया हो (जैसे कि सदस्य/ वीसीजी/एमआरजी आदि के लिए उत्कृष्ट आईबी पुरस्कार/प्रार्थी सहज ने बोर्ड निदेशकों में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (एसएमपीसीएल) (5 अंक)	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए सम्मान प्राप्त किया हो (दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर)	5
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नामांकत समिति' में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे–

(i) सदस्यता की श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक–सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक–सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक – सदस्य निदेशक योग्य सिद्ध होते है, तो ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक – सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक–सदस्य निदेशक को ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;

(ii) एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और

(iii) कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक ।

कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नामांकन समिति' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नामांकन समति की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) 'नामांकित समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

(vii) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को चुनने के लिए 'नामांकन समिति' के द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी देगा।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

10. विचारोपरांत कंपनी के अन्तर्नियमों में संशोधन के लिए मंजूरी देना तथा विशेष प्रस्ताव पारित करना

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX–A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार

पर विशेष रूप से धारा 581-I,581-ZQ, 581-ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः– अध्यादेश) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सकें, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

1. अनुच्छेद 4.5 में उप अनुच्छेद (iii) के तुरन्त बाद **''अन्य भुगतान''**, शीर्षक के साथ निम्नलिखित नये उप अनुच्छेद (iv) को रखा जाये।

अन्य भुगतान :

(iv) कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेषताओं व सीमा एवं प्रकार तथा शर्तों के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है।

2. वर्तमान अनुच्छेद 8.1 को हटाया जाये एवं नीचे दिए गये अनुच्छेद 8.1 को रूपान्तरित करके पढ़ा जाये।

   यह आश्वस्त होने पर कि कोई सदस्य, सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहा तो बोर्ड उस सदस्य को अपने अंश कंपनी को सम मूल्य पर या किसी भी अन्य मूल्य पर अंशों के आत्म समर्पण के लिए कह सकता है।

3. वर्तमान अनुछेद 9.7 (i) और (ii) को हटाया जाये और नीचे दिये गए अनुच्छेद 9.7 को रूपांतरित करके पढ़ा जाये।

   किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड अतिरिक्त निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है जो अतिरिक्त निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति होगी वो अगली वार्षिक आम सभा तक नियुक्त होंगे या उससे कम समय तक यदि बोर्ड तय करता है।

4. वर्तमान अनुछेद 9.18 ii l को पुनरसंख्याकित करके अनुछेद 9.18 ii m पढ़ा जाये और निम्नलिखित नए अनुछेद 9.18 ii l को वर्तमान अनुछेद 9.18 ii m से तुरन्त पहले रखा जाये।

   अनुछेद 9.18 ii l को इस प्रकार से पढ़ा जाये :

   अंतरिम बजट का अनुमोदन जो बजट का अभिन्न हिस्सा होगा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जायेगा।

   पुनः निर्णय लिया जाता है कि मुख्य कार्यकारी और निदेशक एवं कंपनी सचिव एतद्दारा पृथक रूप से आवश्यक फॉर्म कम्पनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 11 **अगस्त,** 2016
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है। तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. प्रत्येक सदस्यों को, उनके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षकता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात उसने गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

3. प्रतिनिधी वार्षिक आम साधारण सभा में भाग लेने के लिए, संलग्न वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें। आगामी वार्षिक आम सभा कंपनी के दूसरे वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक आम सभा है।

4. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक साधारण सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सके।

5. कंपनी की वार्षिक आम साधारण सभा में सदस्यों के निरीक्षण के लिए निदेशकों के हिस्सेदारी के रजिस्टर जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 307 के अन्तर्गत बनाये गये हैं, प्रतिनिधियों के रजिस्टर एवं सदस्यों के हिस्सेदारी का विवरण उपलब्ध होगा।

6. व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) मद संख्या 8 से 10 तक के लिए सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते के परिवर्तन को पिन कोड सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

8. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

10. सीमित आय (लाभांश) का उन सदस्यों को ही भुगतान होगा जिनका नाम 31 मार्च, 2016 तक कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होगा। नये सदस्यों का नाम जो 31 मार्च, 2016 के बाद एवं वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है उन्हें सीमित आय (लाभांश) नहीं मिलेगा।

11. सदस्यों को एतद्दारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित आय (लाभांश) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं किया गया है, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इस राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित कर देने के पश्चात् किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है।

12. निम्नलिखित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न है –

अ. उम्मीदवारों की योग्यता विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है।
ब. द्वितीय वार्षिक साधारण सभा की कार्यवृत्ति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को आयोजित की गई।
स. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिर्पोट के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट।
द. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बजट।
य. प्रतिनिधि फार्म (Proxy Form) एवं उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA(4C) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है–

मद संख्या – 3, 4, 5 एवं 8

निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों के नाम	पेशा	योग्यता
श्री दिग्विजय सिंह	कृषक एवं पशुपालक	इण्टरमीडिएट
श्री चन्द्रपाल सिंह	कृषक एवं पशुपालक	विज्ञान स्नातक
श्री मुरारी लाल	कृषक एवं पशुपालक	कला स्नातक
श्री अनिल कुमार	कृषक एवं पशुपालक	कला स्नातक

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 11 अगस्त, 2016
स्थान – आगरा

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)
(सूचना पत्र में दी गई मद संख्या 8 से 10 से सम्बन्धित)

मद संख्या 8

श्री अनिल कुमार जो अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.7(I) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए अतिरिक्त निदेशक है एवं जिनका कार्यकाल तृतीय वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वह अपने आप को निदेशक के रूप में जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे है, नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।
श्री अनिल कुमार को कृषक एवं पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अनुभव है एवं उनकी योग्यता का विवरण धारा 581ZA (4)(C) के प्रावधानों के अनुरूप है।

आपके निदेशकों का विचार है कि, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, श्री अनिल कुमार निदेशक बनने योग्य है, अतः सूचना पत्र की मद संख्या 8 के लिए साधारण प्रस्ताव पारित करने की अनुशंसा करते है।

श्री अनिल कुमार को छोड़कर कोई भी निदेशक उपर्युक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह का हित नहीं रखते है।

मद संख्या 9

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6, 9.18 ii k और 11.11 vii के अनुसार बोर्ड के सदस्यों वर्ग का प्रतिनिधित्व, बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने के लिए, निदेशक पद की सिफारिश करने के लिए, नामांकन समिति का होना आवश्यक है।

इसके अलावा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.11 की आवश्यकता के अनुसार नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा निर्देशों को कंपनी के शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक में एक साधारण संकल्प द्वारा सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

इसलिए बोर्ड द्वारा नामांकित समिति के गठन के लिए, उनके संविधान और निदेशक के नामांकन के लिए, मानदंड तेयार करने के लिए, दिशा निर्देशों के गठन के लिए सदस्यों द्वारा अनुमोदन और मंजूरी की आवश्यकता होती है।

इसलिए यह जरूरी है कि नामांकन समिति के गठन के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जिसमें निदेशकों के लिए पात्रता मानदंड भी सम्मलित हो, जो विस्तार रूप से नामांकित समिति के मसौदा में उल्लेख है, जिससे नामांकन समिति बोर्ड को योग्य सदस्यों की सिफारिश आने वाले समय में कर सकें।

कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

मद संख्या 10

वर्तमान में मौजूद कंपनी के अन्तर्नियमों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए उनमें कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, जिन्हें कानून में लागू प्रावधानों के साथ एवं समय–समय पर उन प्रावधानों में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित किया जायेगा तथा अस्पष्टता को खत्म करने के लिए तथा आवश्यक परिभाषा दंड को व्यापक अर्थ देने के लिए भी अंतर्नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसलिए विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तन को विशेष प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार्य किया जायेगा, जिसके चलते कंपनी के अंतर्नियमों के लेख में कुछ नए प्रावधानों का समावेश किया जायेगा जिसके फलस्वरूप व्यापार और प्रबंधन संचालन सुचारू रूप से कार्य कर सकें तथा किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों में मौजूदा लेख में परिवर्तन आवश्यक है।

इसके अलावा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581–1(1) आवश्यकता के अनुसार, अंतर्नियमों के लेख में किसी भी प्रकार का संशोधन बिना दो – तिहाई निर्वाचित निदेशकों की मंजूरी या कंपनी के एक तिहाई सदस्यों की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है तथा कंपनी के सदस्यों की आम बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावित किया जाये।

कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेश मंडल ने मद संख्या 10 में निर्धारित प्रस्तावों को सदस्यों के द्वारा अनुमोदन के लिए सूचना पत्र में संलग्न किया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के लिए

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या–ए 26119

दिनांक : 11 अगस्त, 2016
स्थान – आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | | |
(16 अंकों का)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शनिवार, 10 सितम्बर 2016 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल क्लार्क्स शिराज, 54 ताज रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली तृतीय वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

अंश धारक का नाम :	
प्रतिनिधि (Proxy) का नाम : (यदि प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहा है तो)	

सदस्य/प्रतिनिधि* के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

सहज™

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | | |
(16 अंकों का)

मैं .... निवासी ....

.... सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य

एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ....फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी .... और उनकी अनुपस्थिति में

श्री/श्रीमती ....फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी .... को कम्पनी की शनिवार,

10 सितम्बर, 2016 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल क्लार्क्स शिराज, 54, ताज रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली तृतीय वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ

रु. 1/–
का रेवेन्यू
टिकट

सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

दिनांक : ....

नोट : ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

- BIS मानकों के अनुरूप संतुलित पशु आहार
- दुग्ध उत्पादन लागत में कमी
- स्वस्थ पशु

- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- दूध के फैट और एस.एन.एफ. में सुधार

सहज मिन अपनाने के फायदे

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना के अनुरूप तैयार किया गया चिलेटेड क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण
- स्वस्थ नवजात बछिया/पड़िया
- बछिया/पड़िया में बेहतर वृद्धि जिससे कम समय में प्रजनन योग्य

- रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
- नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार
- ब्यांत अंतराल में कमी
- दूध एवं फैट में वृद्धि

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना
सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)